उत्तरांचल शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

वर्ष

2004–2005

प्रतिवेदकः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल, देहरादून।

विषय सूची

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)

(1) प्रशासनिक खण्ड

क0सं0	विवरण	कंडिका	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय प्राधिकार के स्रोत	2.1 से 2.3	1–2
2	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1–3.2	2–3
3	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1, 4.2	3 से 5
4	विभागीय आय–व्ययक	5.1 से 5.3	5
5	विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1–6.2	5–6
6	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1 से 7.4	6–7
7	विभाग की जनशक्ति	8	7–8
8	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	8
9	सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें	10.1 (1)	8–9
10	विशेष सम्परीक्षायें	10.1 (2)	9
11	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2 (1)(2)	10
12	जिला पंचायतें, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	12	11
13	निष्कर्ष	13	11
(2)	**कार्यकारी खण्ड**		12 से 55
(3)	**परिशिष्ट क, ख, ग, घ, च एवं छ**		56 से 71

भाग–2

(सहकारी समितियां एवं पंचायतें)

(1)–प्रशासनिक खण्ड

क्रम संख्या	कण्डिका	पृष्ठसंख्या
1–विभागीय प्रधिकार के स्रोत	2.1	2
2–सम्प्रेक्षाधीन लेखे	3,1–3.2	3
3–सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1–4.2	3–4
4–प्रभागीय आय–व्ययक	5.1 से 5.3	4
5–विभागीय आय एंव व्यय का समन्वय	6.1 से 6.2	5
6–विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1–7.3	5
7–प्रभाग की जनशक्ति	8	5 – 6
8–सहकारी एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2004–05 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	6
9–सम्परीक्षा में उद्धघाटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10 –विशेष सम्परीक्षाऐं	10.1.2	6 – 7
11–सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1 से 2.2	7
12–निष्कर्ष	11	7
(2)–कार्यकारी खण्ड–		8–31
(3) परिशिष्ट,क,ख,ग,घ व अन्य	–	32–44

1— प्रशासनिक खण्ड

निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का प्रथम वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम–1984 की धारा 8 (3) के अधीन उत्तरॉचल राज्य के गठन के उपरान्त विधान सभा के पटल पर वर्ष 2001–02 का रखा गया। तदुपरान्त वर्ष 2002–03 तथा वर्ष 2003–04 के प्रतिवेदन भी विधान सभा के पटल पर प्रति वर्ष रखे जा चुके हैं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा–8(3) के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पूर्ववर्ती राज्य के विधानो के अनुसार नवसृजित राज्य में भी इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2004–2005 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल में रखने हेतु प्रस्तुत है।

2– विभागीय प्राधिकार के स्रोत :–

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तद्धीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथा स्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियॉ "स्थानीय निंधि" (लोकल फण्ड) के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रूप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 369 "के" में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले

सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्य कलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रूप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदान के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक लेखा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिए वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नही, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या–12 सन् 1984) जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ, की धारा–4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3– सम्परीक्षाधीन लेखे –

3.1 वर्ष 2004–05 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 1325 थी। उप सम्परीक्षाधीन 1309 संस्थाओं के विवरण संलग्न *परिशिष्ट 'क'* में दिये

गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं शत प्रतिशत लेखा परीक्षा किये जाने वाली 16 संस्थाओं की सूची *परिशिष्ट "क–1" व "क–2"* के रूप में संलग्न है।

3.2 – सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची *परिशिष्ट 'ख''* में दी गयी है।

4– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य –

4.1 – शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नही। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरूतर दायित्व भी हो जाता है।

4.2–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं:–

1– सम्परीक्षाधीन स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।

2– उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3– उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।

4– सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

5– नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ– केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेन्शन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।

6– महा लेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।

7– नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार पद हेतु अर्हकारी लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।

8– विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।

9– सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

10– स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।

11– विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियॉ आयोजित करना।

12– धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।

13– विभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

14– सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।

15– सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमो के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।

16– उपर्युक्त स्थानीय निकायों/संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

17– शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5– प्रभागीय आय–व्ययक :–

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों/स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन है और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक हैं। इस बात का उल्लेख यहॉ विशेषतया इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि सम्परीक्षाधीन संस्थाओं द्वारा कभी–कभी इस प्रकार की शंकाऐ व्यक्त की जाती है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग भी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह अशासकीय तो नही है।

5.2 – इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियॉ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय–व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 – लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है।वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (परिशिष्ट 'ग') उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

6– विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :– वित्तीय वर्ष 2004–2005 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है:–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	व्यय (रूपये)	आरोपित सम्प0 शुल्क(रू0)
1–	2004–2005	86,16,375	1,35,37,172

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

7.1– विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :–

उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा0 संख्या–5058/वि0शा0स0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रूप में अन्तर्निहित है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि–स्तरीय हैः–

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची *परिशिष्ट "घ"* में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त संवर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची *परिशिष्ट "घ–1"* में दी गई है।

7.2(1)–मुख्यालय स्तरः–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल हैं जिन्हे अपने कार्यो के साथ–साथ पदेन रूप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तरांचल तथा भारतीय धर्मादा संदान के उत्तरांचल वृत के कार्यो का भी सम्पादन करना पड़ता है।

7.2(2)– मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रूप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर–8 में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बड़ी संस्थाओं जैसेः– नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत

कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

7.3– जनपद स्तरीय :– लेखा परीक्षाधीन ईकाइयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित हैं। विभाग के लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित लेखा परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित है। प्रदेश के 13 जिलों में अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों में अभी तक जनपदीय कार्यालय नही खोले जा सके हैं। अतः निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 राज्य स्तरीय :– शासनादेश सं0 वि0 अनु0–1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी एवं वन विकास निगम नरेन्द्र नगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किय गये हैं।

8– विभाग की जनशक्ति :– वर्ष 2004–05 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र0 स0	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1	समूह''क''	02	01	50 प्रतिशत
2	समूह''ख''	16	05	31 प्रतिशत
3	समूह ''ग''			
	(1) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–।	05}	02}	
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	85}	23}	}22.5
	(3) लेखा परीक्षक	30}	02}	प्रतिशत
	(4) आशुलिपिक	03	शून्य	शून्य
	(5) प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायक	40	18	45 प्रतिशत
	(6) वाहन चालक	03	01	33 प्रतिशत

4	समूह "घ"	61	09	15 प्रतिशत
योग		**245**	**61**	**24.9 प्रतिशत**

9–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:– वर्ष 2004–2005 में अधिकांश पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 1325 लेखाओं में से 204 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 1121 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नही करायी जा सकी।

10.1(1) सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें :–

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2004–2005 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उद्घाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू0 3,97,36,821 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है:–

शीर्षकवार

कमांक	शीर्षक	धनराशि (रूपये में)
1	व्यपहरण	30,917
2	अधिक/ अनियमित भुगतान	91,51,304
3	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताऐं	18,29,509
4	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताऐं	67,78,602
5	आर्थिक क्षति	99,23,400
6	राजस्व क्षति	12,87,100
7	दुर्विनियोग	5,200
8	विविध अनियमिततायें/अनानुमोदित व्यय	1,07,30,789
योग		**3,97,36,821**

संस्थावार

क0 सं0	लेखे का नाम	अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशि (रूपये)
1	नगर पालिका परिषदें	2,79,92,200
2	नगर पंचायतें	17,78,417
3	कृषि उत्पादन मण्डी समिति	16,61,733
4	इण्टर कालेज	86,406
5	राष्ट्रीय सेवा योजना (मा0शिक्षा नैनीताल)	23,141
6	विकास प्राधिकरण	16,260
7	बे0शिक्षा समितियाँ	4,31,580
8	उत्तराचंल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	54,31,123
9	इन्जीनियरिंग कालेज	22,67,035
10	ग्राम वन समितियॉ	48,926
योग		**3,97,36,821**

(ख) 31 मार्च, 2005 तक प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर पूर्व वर्षों से अवशेष आपत्तियॉ 72991 थी जिनका विवरण परिषिष्ट "च" में दिया गया है।

10.1(2) विशेष सम्परीक्षाऐं :– प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जांच संस्था अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2004–2005 में प्रेम महाविद्यालय सभा गुरूकुल नारसन हरिद्वार की विशेष सम्परीक्षा प्रारम्भ की गयी।

10.2(1) सम्परीक्षा शुल्क की स्थितिः– वर्ष 2004–2005 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :–

	(रूपयों में)
01 अप्रेल, 2004 को प्रारम्भिक शेष	4,92,78,869
वर्ष में स्थापित मांग	1,35,37,172
योग	**6,28,16,041**
वर्ष में समाहरण	1,60,89,086
31 मार्च, 2005 को बकाया	**4,67,26,955**

10.2(2) उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड़ साठ लाख नवासी हजार छियासी रूपये की वसूली हुई है जिसमें गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है किन्तु यह वसूली कुल बकाया धनराशि की तुलना में संतोषजनक नही रही। इसका प्रमुख कारण वर्तमान में सम्परीक्षा शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में विभाग को विशेष अधिकार प्राप्त न होना है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम –1984 की धारा –4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11.1– उत्तर प्रदेश की अधिसूचना द्वारा उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित धर्मादा सन्दान के लेखाभिलेख धनराशि सहित हस्तान्तरण के आदेश हो चुके हैं, जिसके क्रम में लेखाभिलेख इस राज्य को प्राप्त हो चुके हैं और कतिपय सन्दानों की प्रतिभूतियॉ अभी पूववर्ती राज्य द्वारा दी जानी शेष हैं। इस राज्य में स्थित धर्मादा सन्दानों के सम्बन्ध में कोषपाल की नियुक्ति की जा चुकी है और इनके

अभिलेख अद्यावधिक रखे जाने हेतु निदेशालय में एक प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया गया है।

12 – जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेन्शन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारणः– वर्ष 2004–05 में पेन्शन प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :–

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
28	279	269	38

13– निष्कर्ष :– उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न *परिशिष्ट "क" "क–1" तथा "क–2"* से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2004–05 में 1325 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। स्टाफ की कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए अधिकांश संस्थाओं (204 लेखाओं) की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रू0 3,97,36,821 की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एंव अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की हॉनि आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(यशपाल सिंह)
निदेशक।

2— कार्यकारी *खण्ड*

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तरांचल

(वर्ष 2004–2005)

वर्ष 2004–05 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उद्घाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं।

इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र0 सं0	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रूपये)
1	नगर पालिका परिषदें	2,79,92,200
2	नगर पंचायतें	17,78,417
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	16,61,733
4	इण्टर कालेज/अन्य शिक्षण संस्थायें	86,406
5	राष्ट्रीय सेवा योजना	23,141
6	विकास प्राधिकरण	16,260
7	बेसिक शिक्षा समिति	4,31,580
8	उत्तरॉचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	54,31,123
9	इन्जीनियरिंग कालेज	22,67,035
10	वन समितियॉ	48,926
योग		**3,97,36,821**

विस्तृत विवरण परिषिष्ट "छ" में दिया गया है।

वर्ष 2004–2005 में सम्पन्न सम्परीक्षाऐं

नगर पालिका परिषदें

1– नगर पालिका परिषद गोपेश्वर (जिला चमोली) 2002–2003 :–

(क) आर्थिक क्षति :–

1– पालिका क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत व्यवसायियों का लाइसेन्स नवीनीकरण नही कराये जाने से पालिका को रू0 69,400=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(क)

2– यात्री रैन वसेरा में यात्रियों से निर्धारित दर से कम दर पर किराये की वसूली की गई थी। इससे पालिका को रू0 5,400=00 किराये के रूप में कम प्राप्त हुए थे।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(ग)

(ख) व्यपहरण :– रसीद संख्या 31713/17 दिनांक 13.6.2002 द्वारा प्राप्त की गई धनराशि रू0 1,000=00 पालिका निधि में जमा नहीं करने के कारण व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(ख)

2– नगर पालिका परिषद ऋषिकेश (जिला देहरादून) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतानः–शासनादेश संख्या 1161/28–4–2000–02 (14)/91 दिनांक 31 मई, 2000 में निर्धारित शर्तों का पालन न करने के कारण ऋषिकेश में अनुमन्य पर्वतीय भत्ते की तुलना में उच्चतर दर से पर्वतीय भत्ते का पालिका कर्मचारियों को रू0 7,645=00 अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(ख) आर्थिक क्षति :–निर्माण कार्यो के अनुबन्धों में निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किये जाने पर विलम्ब हेतु 05 प्रतिशत प्रतिदिन अर्थदण्ड की

वसूली नहीं करने के कारण पालिका को रू0 3,42,469=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(3)(3)

(ग) राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें :– पालिका कर्मचारियों को वाहन भत्ता, धुलाई भत्ता, झाड़ू भत्ता आदि का भुगतान रू0 1,24,752/– पालिका की निजी आय (बोर्ड फण्ड) के स्थान पर राजकीय अनुदानों से करने के कारण अनुदान की शर्तो का विचलन था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(5)

3– नगर पालिका परिषद विकासनगर (देहरादून) वर्ष 2003–04 :–

(क) आर्थिक क्षति :– निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अनुबन्धों में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार से विलम्ब हेतु 05 प्रतिशत अर्थदण्ड की वसूली न करने के कारण रू0 12,500=00 की पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)

(ख) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) शा0सं0 4545/8–1–89–264स/77 दिनांक 17.5.1990 के प्राविधानों के विपरीत आवास उपलब्ध कराये जाने पर भी मकान किराया भत्ता दिये जाने से अधिशासी अधिकारी को रू0 1,700=00 एवं अवर अभियन्ता को रू0 1,350=00 कुल रू0 3,050=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)

(2) माह मार्च, 2003 तक अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद विकासनगर को रू0 350=00 प्रति माह की दर से वाहन भत्ता कुल रू0 1,750=00 का भुगतान अपेक्षित प्रमाण पत्र के बिना किये जाने से नियमानुकूल नही था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ज)

4– नगर पालिका परिषद नरेन्द्र नगर (टिहरी) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– श्री सतेसिंह एवं श्री दर्शन लाल बिजल्वाण, लिपिक को एक कलैण्डर वर्ष में दो बार (मार्च, 97 तथा जुलाई, 97) उपार्जित अवकाश का नगदीकरण स्वीकृत किये जाने से रू0 4,010=00 एवं रू0 4,434=00 कुल रू0 8,444=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6

5– नगर पालिका परिषद मसूरी (देहरादून) वर्ष 2003–04 :–

(क) राजस्व क्षति :– सफाई कर्मचारियों के अनुबन्धों में स्टाम्प प्रपत्रों का प्रयोग नहीं किये जाने से रू0 42,600=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ख)

(ख) अनियमित भुगतान :–(1) बिना किसी नियम अथवा शासनादेश के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, पर्यटन प्रभारी, कर अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी एवं अध्यक्ष के वाहन चालक को उपलब्ध कराये गये 07 मोबाइल फोनों के क्रय पर रू0 94,667=00 का अनियमित व्यय किया गया था जिसमें अध्यक्ष को दो मोबाइल सेट उपलब्ध कराये गये थे।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(च)

(2) अधिशासी अधिकारी के आवास पर टेलीफोन अटैन्डेण्ट के रूप में एक कर्मचारी रू0 2200=00 प्रतिमाह की दर से पद सृजन के बिना नियोजित कर रू0 26,400=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(छ)

(3) पालिका में स्वीकृत पदों पर दैनिक वेतन पर 71 सफाई कर्मचारी नियोजित थे। इसके बावजूद माह जून, 2003 में 19 सफाई कर्मचारी पालीथीन बीनने हेतु पृथक से नियोजित कर रू0 24,225=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(घ)

6– नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी वर्ष 2003–04 :–

(क) अनियमित व्यय :– 1– अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी एंव सदस्यों हेतु मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों के प्रतिबन्धों के विपरीत 10 मोबाइल सैट क्रय कर रू0 64,816=00 तथा इनके काल बिलों पर रू0 12,068.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(अ)(आ)

2– कर्मचारियों के अवकाश लेखे में अवकाश देय न होने पर भी अवकाश का उपभोग किये जाने के कारण श्रीमती बनारसी एवं श्री किशोरी को क्रमशः रू0 5,577=00 एवं रू0 2,390=00 अवकाश वेतन का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ख)

(ख) अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित अनियमिततायें :–राज्य वित्त आयोग से अनुदान स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों के विपरीत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक रू0 1,05,380=00 का भुगतान शासकीय अनुदान से किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)(5)

7– नगर पालिका परिषद टिहरी वर्ष 2003–04 :–

(क) आर्थिक क्षतिः– (1) श्री सुन्दर सिंह सजबाण, सेवा निवृत्त कर्मचारी से उन्हें आवंटित आवास खाली नही कराने तथा किराया न लेने के कारण पालिका को रू0 13,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ड.)(5)

(2) श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री शम्भू प्रसाद, तहबाजारी ठेकेदार से दिनांक 01–10–2003 से 31–3–2004 तक की तहबाजारी के ठेके की धनराशि रू0 2,11,000=00 के सापेक्ष रू0 1,71,500=00 की वसूली करके

रू0 33,500=00 को माफ कर दिये जाने के उपरान्त रू0 6,000=00 की कम वसूली के कारण आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ख)(अ)

(3) श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री शम्भू प्रसाद को तहबाजारी ठेके की धनराशि रू0 2,11,000=00 में से रू0 33,500=00 की धनराशि आन्दोलन के कारण फड़ बन्द होने का उल्लेख कर अनुबन्ध में बिना किसी प्राविधान के माफ कर दिये जाने से पालिका को रू0 33,500=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)(अ)

(4) प्रोजेक्शन किराया एवं प्रोजेक्शन शुल्क की माँग क्रमशः रू0 85,236=00 एवं 74,513=00 को पालिका की बैठक दिनांक 30.12.2003 में पारित प्रस्ताव द्वारा माफ कर दिये जाने तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन न लिये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी ।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(अ)(3)

(ख) राजकीय अनुदान का अनियमित उपयोग :– सीवर लाइन हेतु प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि रू0 3,49,539=00 के सापेक्ष बैंक खाते में दिनांक 31.3.2004 को केवल रू0 62,615=00 इतिशेष थे। इस प्रकार रू0 2,86,924=00 निर्धारित प्रयोजन से भिन्न मदों पर प्रयुक्त किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ड.)(4)

8– नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित व्यय :– श्री भुवन चन्द्र लिपिक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण एवं समय पूर्व चयन वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप रू0 8,611=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ख)

9–नगर पालिका परिषद किच्छा (उधमसिंह नगर) वर्ष 2001–02 से 2003–04 :–

(क) राजस्व क्षति :– तहबाजारी, वाहन पार्किंग शुल्क आदि आय से सम्बन्धित ठेकों के अनुबन्धों में स्टाम्प प्रपत्र का प्रयोग नहीं किये जाने के कारण रू0 3,60,190=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –23

(ख) अधिक/अनियमित व्ययः– (1) परिवहन निगम के बस अड्डे के अन्दर यात्रा शेड के निर्माण पर रू0 1,73,575=00 का भुगतान किया गया था। रूपये 28,210=00 का भुगतान श्री अतीक अहमद, ठेकेदार को ठंडे पानी की मशीन लगाने के लिये किया गया था। परिवहन निगम के बस स्टैंड में यात्रा शेड का निर्माण व ठंडे पानी की मशीन लगाने का दायित्व परिवहन निगम का है न कि नगर पालिका है। अतः रू0 2,01,785=00 का भुगतान पालिका निधि से अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5

(2)– रेलवे की भूमि में अवैध रूप से खण्डन्जा निर्माण कर रू0 1,49,905=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6

(3)– रूद्रपुर रोड से वाईपास रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण मे मैसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन ठेकेदार को रू0 6,021=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –8

(4)– श्री इमैन बैल दर्शन, श्रीमती वीरा एवं सूरजमुखी, सफाई कर्मचारियों को वर्ष 2002–2003 में दण्ड दिये जाने के बावजूद उक्त वर्ष का बोनस रू0 9,868=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –17

(5)– कूडादानों के क्रय में निर्धारित क्रय प्रक्रिया का अनुशरण न किये जाने के कारण रू0 3,55,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –(4)

(6) शा0सं0 1083/कार्मिक–2/2002 दिनांक 06.2.2003 के प्राविधानों के विपरीत संविदा पर कर्मचारियों का नियोजन किये जाने से रू0 3,03,325=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2

(ग) आर्थिक क्षतिः– पालिका द्वारा शासन की अनुमति लिये बिना जिप्सी (संख्या यू0पी0–02/8221) क्रय हेतु नैनीताल जिला सहकारी बैंक से रू0 1,13,000=00 का दिनांक 19.11.1990 को लिये गये ऋण पर दिनांक 31.3.2004 तक ब्याज आदि के रूप में रू0 2,35,033=67 का व्यय भार पड़ने से आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –26

(घ) अनानुमोदित व्यय :– पालिका द्वारा विभिन्न मदों में बजट प्राविधान से रू0 98,69,101=00 का अधिक व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1

10– नगर पालिका परिषद बाजपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2001–02 से 2002–03 :–

(क) अनानुमोदित व्ययः– बजट प्राविधानों के अतिरिक्त रू0 6,22,059=00 विभिन्न मदों में अधिक व्यय हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1

(ख) अधिक एवं अनियमित व्यय :– (1)– जनगणना एवं स्थानीय निकाय चुनाव कार्य हेतु पालिका निधि से रू0 34,743=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3

(2)– शासन के प्रतिबंध के वाबजूद पालिका कर्मचारियों को वर्ष 2002 में उपार्जित अवकाश के सेवा कालीन नगदीकरण पर रू0 23,927=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6

(ग) राजकीय अनुदानों का अनियमित उपयोग :– राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त अनुदान की धनराशि से रू0 16,33,371=00 निर्धारित प्रयोजन वेतन एवं विकास कार्यो से भिन्न मदों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक आदि पर व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2

(घ) राजस्व क्षति :– तहबाजारी हाट बाजार आदि के ठेकों से सम्बन्धित अनुबन्धों में निर्धारित स्टाम्प पत्रों से कम मूल्य के स्टाम्प पेपर प्रयुक्त किये जाने से रू0 1,37,600=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –12

11– नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ वर्ष 2002–03 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– शा0सं0 1164/28.4.02 दिनांक 31 मई, 2000 के प्राविधानों के विपरीत पालिका कर्मचारियों को अनुमन्य दरों से उच्चतर दरों पर सीमान्त भत्ते का भुगतान किये जाने से रू0 3,12,975=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1

(ख) आर्थिक क्षति :– अनुबन्धानुसार पालिका दुकानों के किरायादारों से ब्याज की वसूली नहीं किये जाने से रू0 7,248=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3

(ग) राजस्व क्षति :– सामग्री आपूर्ति कर्ताओं से आयकर रू0 3,225=22 की कटौती नहीं करने के कारण राजस्व की हॉनि हुयी थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2

(घ) व्यपहरण :– तहबाजारी की वसूल की गई धनराशि में से रू0 272=00 पालिका कोष में कम जमा करने के कारण व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4

12– नगर पालिका परिषद टनकपुर (चम्पावत) वर्ष 2002–03 से 2003–04 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) पालिका द्वारा दिनांक 16.7.1997 को नीलामी द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों से किराया की माँग एवं वसूली नहीं किये जाने से रू0 63,200=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1

(2) अनुबन्धानुसार 08 दुकानों के किराये में 05 वर्ष उपरान्त 12.50 प्रतिशत की बृद्धि नहीं करने के कारण पालिका को रू0 30,705=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2

(3) दुकानों का किराया वसूल नहीं किये जाने से रू0 64,900=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –(3)(6)(7)

(ख) अनुदानों की राशि का अनियमित उपभोगः–शासनादेश संख्या–2273/206–68/02–03 दिनांक 29.3.2003 द्वारा अम्बेदकर पार्क निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान की राशि के सापेक्ष रू0 4,15,520=00 शासन की स्वीकृति के बिना अन्य प्रयोजनों पर व्यय किया जाना अनुदान का दुरूपयोग था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –10

13– नगर पालिका परिषद गदरपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2001–02 से 2003–04 :–

(क) अधिक एवं अनियमित व्ययः–पालिका के छः कर्मचारियों को बोनस का रू0 37,005=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –7

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– पद सृजन की तिथि से पूर्व की अवधि हेतु 07 कर्मचारियों को रू0 14,52,132=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –8

14– नगर पालिका परिषद रामनगर (नैनीताल) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक एवं अनियमित व्यय :– पालिका द्वारा नजूल भूमि फ्रीहोल्ड कराने हेतु आवेदन के साथ आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त उक्त भूमि को अन्य के नाम फ्रीहोल्ड करने हेतु अनापत्ति दिये जाने के कारण पालिका निधि से रू0 81,534=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2(क)

(2) मकान किराया भत्ता के रूप में रू0 4,650=00 अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2(ख)

(3) शासनादेश सं0 578/दस/स0नि0नि0–1/99 दिनांक 16.6.1999 के विपरीत शुभकामना सन्देशों के विज्ञापन पर रू0 5,500=00 अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2(ग)

(4) कर्मचारियों को बोनस रू0 61,675=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) कर्मचारी आवासों के किराये में शासनादेश संख्या–528/नौ–8–99–23 ज/99 दिनांक 24.9.1999 के अनुसार बृद्धि नहीं किये जाने से रू0 29,195=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ड.)

(2) लाइसेन्स कम बनाये जाने से रू0 29,430=00 की लाइसेन्स शुल्क कम प्राप्त होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(ख)

(ग) राजकीय अनुदान का विचलन :– शासनादेश संख्या–458/आपदा प्रबन्धन/2003 दिनांक 27.9.2003 के अनुसार अन्य मद में शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर दैवी आपदा मद में प्राप्त अनुदान से कार्य नहीं कराये जाने के प्रतिबंध के वाबजूद पर्वतीय धर्मशाला से पुराने कोटद्वार मार्ग तक मार्ग निर्माण हेतु रू0 7,15,985=00 अनियमित रूप से व्यय किये गये थे।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –9(क)

15– नगर पालिका परिषद सितारगंज (उधमसिंह नगर) वर्ष 2000–01 से 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतानः– (1) श्री फरहत उल्ला, सेवा निवृत्त अधिशासी अधिकारी को शासनादेश संख्या–2955/9–6–92–18 मिस/92 दिनांक 22.9.1992 के विपरीत उपार्जित अवकाश नगदीकरण का रू0 23,052=00 अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)

(2) श्री एल0एम0 दास, अधिशासी अधिकारी को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रू0 30,026=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ख)

(3) डा0 जसवन्त सिंह के घर से किच्छा खटीमा वाईपास मार्ग निर्माण कार्य में स्वीकृत निविदा से रू0 2,359=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(घ) (3)

(4) वीरेन्द्र लाल के घर से कान्ता प्रसाद के मकान तक सीमेन्ट रोड निर्माण में रू0 11,228=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(घ)(4)(।।)(।।।)

(ख) आर्थिक क्षति :–(1) विज्ञप्ति सं0 266/गजट/2002–03 दिनांक 03.01.2003 द्वारा तहबाजारी की दरें संशोधित लागू नही करने के कारणरू0 13,90,264=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(दो)(2)

(2) विज्ञप्ति सं0 158/उपनियम/02–03 दिनांक 10.10.2002 द्वारा लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों से निर्गत न करने कारण पालिका को रू0 42,245=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ग)(दो)(3)

(ग) राजकीय अनुदानों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें :– वर्ष 1989 एवं 1991 के अप्रयुक्त विभिन्न अनुदानों के अवशेष रू0 22,66,684=00 को शासन की स्वीकृति के बिना वेतनादि पर व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(5)(2)

16– नगर पालिका परिषद जसपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 :–

(क) अनानुमोदित व्यय :– स्वीकृत बजट प्राविधान से रू0 2,39,629=00 का अधिक व्यय हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ट)

(ख) अनुदानों का अनियमित उपभोग :– शासनादेश संख्या–177/ आपदा प्रबन्धन /2003 दिनांक 31.3.2003 द्वारा सड़कों एवं क्षतिग्रस्त नालियों के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान के सापेक्ष पुनरीक्षण कराये बिना 12 निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत आगणनों से रू0 11,77,071=00 अधिक धनराशि व्यय करना अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ख)

(ग) आर्थिक क्षति :– शोटैक्स कम वसूल किये जाने से रू0 17,310=00 की अर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ग)

(घ) अधिक एवं अनियमित भुगतान :– (1) श्री बी0एल0 आर्य, अधिशासी अधिकारी एवं श्री ईश्वर सिंह रौतेला, अवर अभियन्ता को अनुमन्य वाहन भत्ता क्रमशः रू0 150=00 एवं 150=00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 350=00 एवं

350=00 प्रतिमाह की दर से भुगतान करने के कारण रू0 4,800=00 अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(च)

(2) शासन के मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों के वाबजूद अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष के आवास हेतु कार्डलैस फोन क्रय पर रू0 6,000=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ज)

17– नगर पालिका परिषद बागेश्वर वर्ष 2002–03 :–

(क) आर्थिक क्षति :–लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराये जाने से रू0 3,289=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ब)

18– नगर पालिका परिषद पौड़ी वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक एवं अनियमित व्यय :–शासनादेश संख्या–578/दस–स0वि0वि0/1–99 दिनांक 16.6.1999 के प्राविधानों के विपरीत बधाई सन्देशों के विज्ञापन पर रू0 8,000=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4

(ख) आर्थिक क्षति :– विद्युत बिलों के विलम्ब से भुगतान पर रू0 3,338=65 एवं टेलीफोन बिलों के विलम्ब से भुगतान किये जाने पर रू0 100=00 कुल 3,439=00 विलम्ब शुल्क के रूप में आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(2)(3)

19– नगर पालिका परिषद नैनीताल वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित व्यय :– (1) रमपुरिया लाईन जयलाल शाह बाजार के पीछे सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में श्री मोहम्मद अशलम ठेकेदार को रू0 1,500=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3(क)

(2) श्री धनीराम ठेकेदार को नारायण नगर गेट से सफाई कर्मचारी आवास तक सड़क निर्माण में त्रुटिपूर्ण गणना के कारण रू0 735=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ख)

(3) कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक नैनीताल से रू0 77,00,000=00 का ऋण दायित्वों के निस्तारण हेतु लिये जाने से रू0 2,54,166=00 ब्याज का अमान्य भुगतान किया गया था क्योंकि पालिका ने करों के बकायों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3(ग)

(4) शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पालिका निधि से भुगतान किये जाने से रू0 1,27,358=00 का अनियमित व्यय हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3(ड.)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– (1) श्री सुरेश चन्द्र जोशी, वरिष्ठ लिपिक को रू0 935=00 ,श्री भुवनलाल शाह को रू0 1,380=00 का वेतन में अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(क)(ख)

(2) श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री बनबारी को बोनस रू0 2,467=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(ग)

(ग) आर्थिक क्षति :– सामान्य लाइसेंस कम बनाये जाने से रू0 1,895=00 तथा लाजिंग के लाइसेंस कम बनाये जाने से रू0 92,445=00 तथा लाजिंग लाईसेन्स कम दर पर बनाये जाने से रू0 2,200=00 की आर्थिक क्षति हुई थी। इस प्रकार रू0 96,540=00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(ख)(ग)(च)

(2) ठेकेदारी पंजीयन शुल्क न लिये जाने से रू0 5,400=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(घ)

(3) पालिका कर्मचारियों से मानक किराया कटौती न किये जाने से रू0 1,08,888=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(छ)

20– नगर पालिका परिषद हल्द्वानी (नैनीताल) वर्ष 2003–04 :–

(क) व्यपहरणः– दिनांक 23.12.2003 को वसूल की गयी लाइसेंस शुल्क की आय रू0 3,975=00 के सापेक्ष मात्र रू0 3,675=00 ही पालिका कोष में जमा कराने से रू0 300=00 व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(क)

(ख) दुर्विनियोग :– दिनांक 31.3.2003 को फल सब्जी लाइसेंस की वसूल की गयी धनराशि रू0 5,200=00 दिनांक 12.3.2004 को लगभग एक वर्ष पश्चात् जमा किये जाने से उक्त धनराशि का दुर्विनियोग हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(क)(2)

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) उपविधियों के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं किये जाने से रू0 4,77,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –(ख)(।)

(2) भवन स्वामियों द्वारा प्राप्त किराये से भी कम मूल्यांकन किये जाने से पालिका को गृह कर में रू0 71,240=00 की कम प्राप्ति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –(ख)(।।)

(3) शासन की स्वीकृति के बिना टोयटा क्वालिस क्रय पर रू0 7,76,600=00 का भुगतान कर पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –(ग)

21– नगर पालिका परिषद खटीमा (उधमसिंह नगर) वर्ष 1998–99 से 2002–03 :–

(क) आर्थिक क्षति :–(1) शारदा टाकीज पर प्रेक्षा गृहकर की माँग निरस्त किये जाने से रू0 2,91,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(1)

(2) दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान रू0 1,10,650=00 का आहरण न होने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(2)

(ख) राजस्व क्षति :– तहबाजारी ठेके के अनुबन्ध में स्टाम्प पेपर प्रयुक्त न किये जाने से रू0 1,43,350=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(3)

(ग) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बिना किसी शासनादेश आदि के बढ़ी हुई दर से पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने से रू0 1,8753=00 अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(16)

(2) जिलाधिकारी कार्यालय, उधमसिंह नगर में कार्यरत श्री विशन राव चपरासी को रू0 1,770=00 प्रतिमाह की दर से रू0 1,06,200=00 पालिका निधि से भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –14(1)

22– नगर पालिका परिषद भवाली (नैनीताल) वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) पालिका आवास उपलब्ध कराये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों से मानक किराया अथवा वेतन का 10 प्रतिशत की कटौती नहीं किये जाने से रू0 81,840=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(2)

(2) उप शिक्षा निदेशक कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के पत्रांक 2642/12–1(21)/1974 दिनांक 07.12.1974 द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त जू0हा0 स्कूल का बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के उपरान्त पालिका द्वारा संचालन किये जाने पर वर्ष 2001–02 में रू0 4,65,659=00 तथा वर्ष 2002–03 में रू0 6,45,174=00 अमान्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(5)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– (1) बिना पद सृजन के अवर अभियन्ता को रू0 19,767=00 का वेतन भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(6)

(2) जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल में कार्यरत कु0 मधु भण्डारी, लिपिक को पालिका निधि से इनके वेतनादि पर रू0 1,57,872=00 व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(7)

23– नगर पालिका परिषद दुगड्डा (पौड़ी) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– उपार्जित अवकाश के सेवा कालीन नगदीकरण रू0 40,496=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– बैंकों/सरकारी कार्यालयों के भवन स्वामियों का गृहकर निर्धारण में वार्षिक मूल्यांकन कम आंकने से रू0 27,048=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(घ)

24– नगर पालिका परिषद कोटद्वार (पौड़ी) वर्ष 2002–03 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :–शासनादेश संख्या–4–444/दस–2000 दिनांक 14.6.2000 द्वारा अर्जित अवकाश का प्रतिबन्धित सेवाकालीन नगदीकरण का रू0 9,890=00 भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –(ड.)

नगर पंचायतें

(1) नगर पंचायत कर्णप्रयाग (जिला चमोली) वर्ष 2002–03 :–

(क) आर्थिक क्षति :– लाइसेंस शुल्क की कम दर से वसूली किये जाने से रू0 300=00 एवं रू0 850=00 जमा नहीं किये जाने से कुल रू0 1150=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6

2– नगर पंचायत डोईवाला (जिला देहरादून) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमि भुगतान :– संस्था के कर्मचारियों को वाहन पालिका कार्य में प्रयुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र के बिना एवं अनुमन्य दर से उच्चतर दर पर भुगतान किये जाने से रू0 6,650=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)

3– नगर पंचायत हर्बटपुर (जिला देहरादून) वर्ष 2003–04 :–

(क) अमान्य भुगतान :– छत की ग्रोटिंग हेतु दिनांक 13.12.2003 से दिनांक 27.12.2003 तक श्रमिक कार्यरत दर्शाकर रू0 15,420.00 अमान्य था क्योंकि इस कार्य हेतु निर्माण सामग्री दिनांक 23.12.2003 को क्रय की गयी थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

4– नगर पंचायत चम्बा (जिला टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– कर्मचारियों के कोई पद सृजित नहीं होने पर भी दैनिक/संहत वेतन पर कर्मचारी नियोजित कर रू0 63,532=00 वेतनादि पर अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5

(ख) राजस्व क्षति :– तहबाजारी एवं पार्किंग ठेके के अनुबन्धों में निर्धारित दर से कम मूल्य के स्टाम्प पत्र प्रयुक्त किये जाने से क्रमशः रू0 9,500=00 एवं रू0 5,100=00 कुल रू0 14,600=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6

5– नगर पंचायत मुनि की रेती (जिला टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2003–04:–

(क) आर्थिक क्षति :– वर्ष 2003–04 में गृहकर की माँग आरोपित नहीं करने के फलस्वरूप रू0 1,71,994=00 की अर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(2)

6– नगर पंचायत देवप्रयाग (जिला टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2003–04 :–

(क) राजकीय अनुदान का उपभोग :– चैक संख्या 39281/33 दिनांक 12.06.2003 द्वारा पी0एल0ए0 से वेतन वितरण हेतु रू0 2,46,516=00 के स्थान पर रू0 2,99,431=00 का आहरण करके अवशेष धनराशि रू0 52,915=00 अन्य मदों पर व्यय किया जाना अनुदान की शर्तों का उल्लंघन था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(1)

(ख) अधिक/अनियमित भुगतान :– श्रीमती गुलाब देई, सफाई कर्मचारी को रू0 2,467=00 बोनस का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(2)

(ग) राजस्व क्षति :– संस्था द्वारा किराया सम्बन्धी अनुबन्ध पत्रों में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्रों का प्रयोग नहीं किये जाने से रू0 34,854=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ई)

7– नगर पंचायत बड़कोट (जिला उत्तरकाशी) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय :– पद सृजन के बिना श्री प्रेम सिंह रावत एवं श्री प्रेम सिंह राणा की राजस्व मोहर्रिर पद पर नियुक्ति के कारण इनके वेतनादि पर रू0 1,35,000=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1क(2)

(ख) आर्थिक क्षति :– शासनादेश संख्या 161 सी0एम0/नौ–9–97–23 ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 के अनुसार शराब व्यवसायी से लाइसेंस शुल्क रू0 12,000=00 के स्थान पर मात्र रू0 1,000=00 वसूलने के कारण रू0 11,000=00 की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1ख(अ)

8– नगर पंचायत लण्ढौरा (जिला हरिद्वार) वर्ष 2003–04 :–

(क) अनियमित व्यय :– नव वर्ष की शुभकामना आदि सम्बन्धी विज्ञापनों पर रोक के वाबजूद इनके विज्ञापनों पर रू0 3,000=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(1)

9– नगर पंचायत झबरेड़ा (जिला हरिद्वार) वर्ष 2003–04 :–

(क) राजस्व क्षति :– तहबाजारी ठेका वर्ष 2003–04 के अनुबन्ध में स्टाम्प पत्रों का प्रयोग नहीं किये जाने से रू0 28,160=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग– 2 ब प्रस्तर 1 (क)

(ख) अनियमित व्यय :– श्री नाथीराम मित्तल को जल संस्थान द्वारा डाली गयी पुराने नलों को ठीक कराने हेतु रू0 12,400=00 का भुगतान पंचायत निधि से किया जाना अनियमित था।

भाग– 2 ब प्रस्तर –1(ख)

10– नगर पंचायत द्वाराहाट (जिला अल्मोड़ा) वर्ष 2003–04 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) विभिन्न व्यवसायियों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण रू0 6,315=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(1)(अ)

(2) पंचायत कार्य के बिना अन्य प्रयोजनों हेतु अध्यक्ष को अल्मोड़ा एवं बागेश्वर की यात्राओं हेतु प्रेट्रोल आदि पर रू0 2,169=00 व्यय किये जाने से आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ख)

11– नगर पंचायत भीमताल (जिला नैनीताल) वर्ष 2003–04 :–

(क) अनियमित एवं अधिक व्यय :– श्री प्रताप सिंह बोहरा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृत निविदा पर कार्य नहीं करने के कारण उनके द्वारा जमा अर्नेस्टमनी के रूप में रू0 1,400=00 जब्त करने के बजाय वापस किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4

(ख) राजस्व क्षति :– (1) निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों से व्यापार कर एवं आयकर की कटौती नहीं करने के कारण रू0 45,821=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –(6)

(ग) व्यपहरण :–

(2) पार्किंग शुल्क की वसूल की गयी धनराशि रू0 4,410=00 एवं तहबाजारी रू0 175=00 पंचायत निधि में जमा न करने से कुल रू0 4,585=00 का व्यपहरण हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(छ)

12–नगर पंचायत महुआ डाबरा (जिला उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04:–

(क) व्यपहरण :– विभिन्न रसीदों से वसूल की गयी धनराशि रू0 24,160=00 की पंचायत निधि में जमा नहीं किये जाने से व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1 क(1)

(ख) अनियमित भुगतान :– अधिशासी अधिकारी को दिनांक 02.02.2004 हेतु यात्रा बिल के बिना रू0 2,500=00 भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1 क(2)

(ग) राजस्व क्षति :– ठेकेदार के बिल से आयकर की कटौती नहीं किये जाने से रू0 6,168=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –ख

13– नगर पंचायत चम्पावत वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक भुगतान :– (1) अधिशासी अधिकारी को मकान किराया भत्ता का रू0 3,255=00 अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1

(2) कोटेशन की शर्तों के विपरीत विद्युत सामग्री आपूर्ति हेतु रू0 2000=00 भाड़े के रूप में अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –4

(ख) आर्थिक क्षति :– भवन प्लान शुल्क उपनियमों के अनुसार न लिये जाने से रू0 7,800=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –2

14– नगर पंचायत केलाखेड़ा (जिला उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक भुगतान :– (1) सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार श्री नबाब अली को रू0 19,653=00 का दोहरा भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –2

(2) श्री मोहम्मद जावेद को सड़क निर्माण में रू0 2,790=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ)प्रस्तर –3(2)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता :– बिना पद सृजन के सफाई नायक की नियुक्ति किये जाने से रू0 59,956=56 का अनियमित व्यय हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –8

15–नगर पंचायत कालाढुंगी (जिला नैनीताल) वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 :–

(क) आर्थिक क्षति :– वर्ष 2001–02 में गृहकर की माँग रू0 1,58,846=00 की किन्तु वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में भवनकर की माँग स्थापित नहीं किये जाने से प्रति वर्ष रू0 1,58,846=00 अर्थात कुल रू0 3,17,692=00 की संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(घ)

(ख) राजस्व क्षति :– तहबाजारी पार्किंग शुल्क आदि के ठेकों के अनुबन्धों में कम मूल्य के स्टाम्प पत्र प्रयुक्त किये जाने से रू0 1,01,490=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(ज)

(ग) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) श्री शब्बीर अहमद ठेकेदार को वार्ड सं0 03 में सड़क निर्माण कार्य के बिल से आयकर/बिक्रीकर की क्रमशः रू0 1,005=00 एवं 4,021=00 कुल रू0 6,283=00 की कटौती के पश्चात् देय रू0 94,233=00 के स्थान पर रू0 1,05,301=00 भुगतान करने से रू0 11,068=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो (अ) प्रस्तर–4 (क)

(2) श्री नबाब अली ठेकेदार को सड़क एवं नाला निर्माण में त्रुटिपूर्ण गणना से रू0 8,823=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(ख)

16– नगर पंचायत दिनेशपुर (जिला उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 :–

(क) व्यपहरण :– माह अक्टूबर, 2003 से दिसम्बर, 2003 के वेतन से आर0डी0 हेतु की गयी कटौती रू0 15,600=00 के स्थान पर मात्र रू0 15,000=00 ही जमा किये जाने से रू0 600=00 व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5

17– नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी (जिला उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक भुगतान :– दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के अनुदान से सम्बन्धित सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में रू0 1,535=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1क(2)

18– नगर पंचायत शक्तिगढ़ (जिला उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– सामुदायिक भवन एवं शमशान घाट निर्माण हेतु ठेकेदार श्री लईक अहमद को कुल रू0 1,73,423=00 का भुगतान किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उधमसिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंह नगर को प्रेषित पत्रांक 973/गा0अ0से0/98–99 दिनांक 09.11.1998 में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का मूल्यांकन रू0 70,000=00 एवं शमशान घाट टिन शैड निर्माण का मूल्यांकन रू0 28,000=00 कुल रू0 98,000=00 आंकलन के आधार पर कृत कार्य हेतु रू0 75,423=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)(8)

(ख) आर्थिक क्षति :– वित्त अनुभाग –1 शा0सं0 812/वि0अनु0–1/02 दिनांक 13.8.2002 द्वारा वर्ष 2002–03 में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकृत रू0 70,000=00 का आहरण पंचायत द्वारा नहीं करने से आर्थिक क्षति हुयी है।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –6(ख)(5)

19– नगर पंचायत महुआ खेड़ा गंज (जिला उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक एवं अनियमित व्यय :– पी0डब्ल्यू0डी0 से श्री महेन्द्र सिंह के मकान तक निर्माण कार्य के आगणन में अर्थ फिलिंग का कार्य नहीं होने पर भी

रू0 187=21 घ0मी0 अर्थ फिलिंग का कार्य पर रू0 13,970=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– तालाब ठेके में धनराशि बिलम्ब से जमा करने पर अनुबन्धानुसार अर्थदण्ड नहीं लिये जाने से रू0 5,325=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ग)

20– नगर पंचायत लालकुँआ (जिला नैनीताल) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– निर्माण कार्यों के भुगतानों में न्यूनतम टैण्डर की दर से गणना नहीं किये जाने से रू0 4,732=00 का ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3(क)(ख)(ग)

(ख) राजस्व क्षति :– श्री दीवान सिंह ठेकेदार को श्यामलाल के घर से अनोखे लाल के घर तक सड़क निर्माण कार्य में व्यापार कर रू0 2,128=00 की कटौती नहीं किये जाने से राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(क)

(ग) आर्थिक क्षति :–(1) तहबाजारी वसूली में शिथिलता से रू0 12,925=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(ख)

(2) वर्ष 2002–03 में गृहकर की माँग रू0 4,10,992=00 थी। वर्ष 2003–04 गृहकर आरोपित नहीं किये जाने के कारण रू0 4,10,992=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(ग)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ

1– कृषि उत्पादन मण्डी समिति देहरादून वर्ष 2003–04

(क) राजस्व क्षति :– सफाई कार्य तथा कैन्टीन के ठेकों में अनुबन्धों पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर प्रयुक्त नहीं किये जाने से रू0 3,61,180=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(क)

(ख) अधिक एवं अनियमित भुगतान :– मण्डी परिषद के सदस्य को टैक्सी भाड़े हेतु रू0 4,888=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(5)

2– कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूड़की (हरिद्वार) वर्ष 2003–04

(क) आर्थिक क्षति :– व्यवसायियों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराये जाने से रू0 2,750=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(4)

3– कृषि उत्पादन मण्डी समिति मंगलौर (हरिद्वार) वर्ष 2003–04

(क) आर्थिक क्षति :– **(1)** कतिपय व्यवसायियों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने से रू0 8,700=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(1)

(2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों को किराये पर नहीं दिये जाने से रू0 1,37,280=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(।।)

4– कृषि उत्पादन मण्डी समिति रामनगर (नैनीताल) वर्ष 2002–03 एवं 2003–04:–

(क) आर्थिक क्षति :– कर्मचारियों को समिति निधि से दिये गये ऋणों पर ब्याज की गणना नहीं किये जाने से रू0 925=00 एवं आगणित ब्याज की वसूली नहीं किये जाने से रू0 11,400=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(क)(ख)

(2) बगीचा नीलामी की धनराशि रू0 33,500=00 की वसूली नहीं किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ग)

(3) विलम्ब से मण्डी शुल्क जमा किये जाने पर व्यापारियों द्वारा देय ब्याज रू0 1,987=00 की वसूली नहीं किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(छ)

(ख) अधिक/अनियमित भुगतान :– श्री वेदप्रकाश शर्मा, मण्डी निरीक्षक को प्रशिक्षण सम्बन्धी यात्रा भत्ता में दैनिक भत्ता के रूप में रू0 2,025=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(च)

5– कृषि उत्पादन मण्डी समिति टनकपुर (चम्पावत) वर्ष 2001–02 से 2003–04 :–

(क) आर्थिक क्षति :– वन समिति द्वारा देय मण्डी शुल्क से कम धनराशि जमा किये जाने से रू0 1,52,876=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1

(2) पृथक कृषि उत्पादन मण्डी समिति के गठन के उपरान्त मण्डी शुल्क आय रू0 49,941=00 कृषि उत्पादन मण्डी समिति खटीमा में जमा किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –4

6– कृषि उत्पादन मण्डी समिति किच्छा (उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04:–

(क) अधिक/अनियमित व्यय :– राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद से स्वीकृत दरों से उच्च दर पर सुरक्षा ठेका दिये जाने से रू0 2,604=00 का अतिरिक्त व्यय भार समिति पर पड़ा था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1

(ख) राजस्व क्षति :– सुरक्षा एवं सफाई ठेका के अनुबन्धों में स्टाम्प पत्र प्रयुक्त नहीं किये जाने से रू0 4,470=00 राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4

(ग) आर्थिक क्षति :– कैन्टीन नीलामी विलम्ब से किये जाने से रू0 3,006=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5

7– कृषि उत्पादन मण्डी समिति काशीपुर (उधमसिंह नगर)वर्ष 2003–04

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के पत्रांक 3355 दिनांक 02.04.2003 द्वारा सिक्योरिटी गनमैन आदि की स्वीकृत दरों की तुलना में सुरक्षा पर लगाये गये गनमैन एवं डण्डामैन का पारिश्रमिक उच्चतर दर से भुगतान किये जाने के कारण रू0 5,25,024=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(क)

(2) श्री रविका सफाई कार्य का कुटेशन न्यूनतम रू0 6,500=00 प्रतिमाह होने पर भी श्री रवि को कार्य न देकर श्री राजन को रू0 12,500=00 प्रतिमाह पर देने के कारण वर्ष में रू0 72,000=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(घ)

8– कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04

(क) अनियमित व्यय :– नवीन मण्डी स्थल रूद्रपुर की दुकान किराये की वसूली सम्बन्धी 57 वादों पर रू0 60,990=00 वाद व्यय करने के उपरान्त मा0 न्यायालयों के बिना निर्णय के बकाया किराया रू0 11,32,622=00 को दिनांक 05.9.2003 को पारित प्रस्ताव द्वारा माफ किये जाने के कारण रू0 60,990=00 का व्यय अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5

(ख) आर्थिक क्षति :– दालमिल से मण्डी शुल्क /विकास सैस की माँग वसूली नहीं किये जाने से रू0 1,14,169=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6

9– कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज (उधमसिंह नगर)वर्ष 2000–01 से 2003–04:–

(क) आर्थिक क्षति :– लाइसेंस नही बनाये जाने से समिति को रू0 3,050=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(क)

10– कृषि उत्पादन मण्डी समिति बाजपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04

(क) अनियमित भुगतान :– धान क्रय केन्द्रों में धान की आवक बन्द होने के उपरान्त सुख सुविधा सामग्री के किराया आदि हेतु मै0 सेठी टैन्ट हाउस बाजपुर को रू0 5,980=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3

(ख) आर्थिक क्षति :– उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को प्रचलित सर्किल रेट से कम मूल्य पर भूमि हस्तान्तरण से रू0 1,01,724=00 की कम प्राप्ति होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –9

(ग) राजस्व क्षति :– कैन्टीन नीलामी का अनुबन्ध कम मूल्य के स्टाम्प पत्रों में किये जाने से रू0 1,264=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –10

इण्टर कालेज/शिक्षण संस्थायें

1– शिक्षा निकेतन जू0हा0 स्कूल मुनि की रेती (टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2002–03 एवं 2003–04:–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– शासनादेश संख्या–1161/28.4.2000 –02(14) /91 दिनांक 31 मई, 2000 में पर्वतीय जनपदों के मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित दरों से उच्च दर पर संस्था के कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप कुल रू0 42,890=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(1)

2– लाल बहादुर शास्त्री जू0हा0 स्कूल ढालवाला (जिला टिहरी) वर्ष 2002–03 एवं 2003–04:–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– शासनादेश संख्या–1161/28–4–2000–02(14)/91 दिनांक 31.5.2000 द्वारा मैदानी क्षेत्र हेतु अनुमन्य दरों से उच्च दरों पर पर्वतीय विकास भत्ता भुगतान किये जाने से रू0 34,185=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(2)

(2) श्रीमती बिजौला मधुमती एवं श्री वीरेन्द्र दत्त कुड़ियाल सहायक अध्यापक को समय पूर्व वेतन बृद्धि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप रू0 1,929=00 एवं रू0 1,572=00 अर्थात कुल रू0 3,501=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(1)

3– जय किसान इण्टर कालेज रौंडधार (जिला टिहरी) वर्ष 2003–04

(क) अनियमित भुगतान :– वित्त नियन्त्रक शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल देहरादून के पत्रांक अर्थ–1/11168–15191/विविध–1/2003–04 दिनांक 25.4.2003 के विपरीत परिवार कल्याण योजनान्तर्गत स्वीकृत वैयक्तिक वेतन बृद्धि को पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप रू0 2,100=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)

4– डा0 हरिराम आर्य इण्टर कालेज मायापुर (जिला हरिद्वार) वर्ष 2002–03 एवं 2003–04

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– प्राधिकृत नियन्त्रक को अनुरक्षण खाते से रू0 100=00 प्रतिमाह की दर से रू0 2,200=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(1)

5– आर0एम0पी0 इण्टर कालेज गुरूकुल नारसन (जिला हरिद्वार) वर्ष 2002–03 एवं 2003–04

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– श्री कीरत सिंह सफाई कर्मचारी को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रू0 1,530=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(1)

राष्ट्रीय सेवा योजना

1– हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) वर्ष 2003–04

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण की अवधि में भोजन एवं आवास सुविधा उपलब्ध होने पर इसके विपरीत पूर्ण दर से दैनिक भत्ता का भुगतान रू0 2,100=00 अनियमित व्यय था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –9(1)

(2) राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग के कार्यक्रम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2003–04 हेतु मानदेय में रू0 1,000=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –9(2)

2– गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर वर्ष 2003–04

(क) अधिक/अनियमित व्यय :– विशेष शिविर निधि से साईकिल स्टैण्ड निर्माण हेतु बिना किसी प्राविधान के रू0 20,041=00 का व्यय शासन के निर्देशों के विरूद्ध था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1

विकास प्राधिकरण

1– दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वर्ष 2003–04

(क) अधिक एवं अनियमित व्यय :– श्री सर्वेश मित्तल मानचित्र कार की पत्नी केन्द्रीय विद्यालय आई0एम0ए0 देहरादून में कार्यरत थी। शासनादेश संख्या–1–392/दिनांक 28.4.2000 के अनुसार एक ही मकान में रहने वाले पति–पत्नी दोनों में से एक को ही मकान किराया भत्ता देय होने के कारण श्रीमती मित्तल को मकान किराया भत्ता का भुगतान न होने की पुष्टि कराये बिना श्री मित्तल को रू0 16,260=00 मकान किराया भत्ता का भुगतान अनियमित था।

बेसिक शिक्षा समितियाँ

1– बेसिक शिक्षा समिति टिहरी वर्ष 2002–03 एवं 2003–04

(क) अधिक एवं अनियमित भुगतान :– (1) शिक्षक/कर्मचारियों को अवैतनिक अवकाश में रहने पर भी रू0 2,467=00 प्रति व्यक्ति की दर से कुल रू0 74,010=00 बोनस का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(क)

(2) मुनि की रेती में स्थित विद्यालयों के कर्मचारियों/शिक्षकों को मैदानी क्षेत्र हेतु अनुमन्य पर्वतीय भत्ता देय था। इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्र हेतु अनुमन्य पर्वतीय भत्ता का भुगतान किये जाने से कुल रू0 1,79,860=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ख)

(3) श्री ललिता प्रसाद समन्वयक नरेन्द्रनगर को समय पूर्व वेतन बृद्धि स्वीकृत किये जाने से रू0 10,002=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(ग)

(4) श्रीमती शकुन्तला कुंजवाल सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय हिण्डोला खाल (नरेन्द्रनगर) को समय पूर्व वेतन बृद्धि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप रू0 12,196=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(ग)(2)

(5) श्रीमती लक्ष्मी भद्री सहायक अध्यापिका प्रा0वि0 घुण्टी को अनुमन्य 120 दिन के स्थान पर 160 दिन का चिकित्सावकाश स्वीकृत किये जाने से रू0 13,627=00 का अमान्य व्यय हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(ग)(3)

(6) परिवार कल्याण योजनान्तर्गत स्वीकृत वेतन बृद्धि को अनधिकृत रूप से पुनरीक्षित किये जाने से रू0 22,200=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –5(घ)(1)

2– बेसिक शिक्षा समिति पौड़ी वर्ष 2001–02 से 2003–04

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– श्रीमती शिरोमणी प्र0अ0 प्रा0वि0 गहण के पति नगर क्षेत्र पौड़ी में कार्यरत थे किन्तु मकान किराया भत्ता के भुगतान न होने की पुष्टि कराये बिना पौड़ी नगर में देय मकान किराया भत्ता रू0 25,425=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)

(2) श्रीमती कौशल्या देवी प्र0आ0 प्रा0वि0 कसाणी द्वारा पदोन्नति हेतु असहमति व्यक्त किये जाने के उपरान्त भी चयन वेतनमान स्वीकृत करने के फलस्वरूप उन्हें वेतन भत्तों आदि में रू0 80,660=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1ख (1)

(ख) आर्थिक क्षति :– जूनियर हाईस्कूल मरगदना (पौड़ी) भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि में से खराब छत निर्माण पर दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 68,000=00 के सापेक्ष रू0 54,400=00 की वसूली करने से रू0 13,600=00 की क्षति हुयी थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(घ)

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी (नैनीताल) वर्ष 2003–04

(क) अधिक /अनियमित/अमान्य/परिहार्य व्यय :– (1) दुर्गा कालोनी खड़िया फैक्ट्री से पीली कोठी (हल्द्वानी) तक सम्पर्क मार्ग हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह ठेकेदार को निर्गत मैक्स फाल्ट के मूल्य रू0 79,437=00 की वसूली ठेकेदार के बिल से नहीं किये जाने के कारण अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(ग)

(2) देहरादून एवं ऋषिकेश मण्डी क्षेत्रान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के निर्माण कार्यो का, पर्वतीय क्षेत्र हेतु निर्धारित दरों पर भुगतान किये जाने से रू0 4,98,298=70 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(च)

(3) रोलिंग टेरेन क्षेत्र (पौड़ी जिले का दक्षिणी भाग कोटद्वार आदि) में अनुमन्य दरों से उच्चतर दर पर निर्माण का भुगतान किये जाने के कारण रू0 83,499=20 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(ड.)

(4) कोटद्वार मण्डी क्षेत्रान्तर्गत लालपानी सम्पर्क मार्ग के भुगतान में त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने के कारण ठेकेदार श्री सतेन्द्र सिंह नेगी को रू0 1,77,687=95 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(ख)

(5) रेगडू मल्ली छन्दा से तल्ली छन्दा सम्पर्क मार्ग जाब–2 में कटिंग से प्राप्त पत्थर के 50 प्रतिशत भाग का चिनाई हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर पत्थर की चिनाई हेतु समस्त पत्थर ढुलान से अन्यत्र से लाकर प्रयोग करने के कारण श्री बी0सी0 मिश्रा ठेकेदार को रू0 40,943=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(1)

(6) मुनेश्वर खेती गाड़ राजपुरा मझेड़ा कपलखेत सम्पर्क मार्ग जाब–1 एवं जाब–2 के निर्माण में कटिंग से प्राप्त पत्थर के निर्धारित का 50 प्रतिशत भाग का उपयोग चिनाई में न कर 1.50 कि0मी0 दूर से लाये गये पत्थर का प्रयोग चिनाई में दर्शाने से ठेकेदार श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी को रू0 1,76,000=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(2)(3)

(7) (क) उपनिदेशक (निर्माण) द्वारा किच्छा मण्ड़ी क्षेत्रान्तर्गत पक्की खमरिया सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य सनतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण प्रीमिक्सिंग कार्य में 05 प्रतिशत तथा सीलकोट के कार्य में 10 प्रतिशत जाँचोपरान्त कटौती की संस्तुति करने के उपरान्त कोई कटौती नहीं किये जाने से श्री अरविन्द सिंह राणा, ठेकेदार को रू0 6,585=76 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4–ज(1)

(ख) इसी प्रकार बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग जाब–1 निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर अपनी निरीक्षण आख्या में 40 प्रतिशत कार्य अस्वीकृत कर कटौती किये जाने की संस्तुति के उपरान्त भी ठेकेदार से कटौती निर्देशानुसार नहीं करने के कारण ठेकेदार को रू0 1,37,419=53 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4–ज(2)

(8) सड़क निर्माण कार्यो में निर्माण सामग्री का ढुलान अधिक दूरी से दर्शाये जाने के कारण ठेकेदारों को रू0 3,47,966=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(ञ)

(9) नगर पालिका रूद्रपुर की सीमान्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाये जाने से रू0 2,08,761=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(घ)

(10) हल्द्वानी मण्डी स्थल में 160 किलो वाट अम्पीयर के जनरेटर क्रय एवं स्थापना सम्बन्धी प्राकलन हेतु प्राप्त कोटेशन में न्यूनतम दर मै0 खण्डेलवाल मिल स्टोर हल्द्वानी की रू0 7,94,525=00 थी। उक्त कार्य में क्वालिटी इलेक्ट्रिक वर्क्स रूड़की से कराकर रू0 8,01,908=00 का भुगतान किया गया था। प्राक्कलन में जनरेटर की कोटेशन की दरों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत कान्ट्रेक्टर प्राफिट रू0 73,550=00 भी सम्मिलित होने के कारण परिषद द्वारा रू0 73,550=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(ढ़)

(11) कृषि उत्पादन मण्डी परिषद अधिनियम की धारा–26(त) 2(1)(2)(3) में निर्धारित प्रयोजनों के विपरीत गौ संवर्धन हेतु रू0 4,15,594=00 का भुगतान उत्तरांचल लाइव स्टाक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून को किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4(त)

(12) मण्डी परिषद निदेशालय भवन रूद्रपुर हेतु मै0 नरूला ठेकेदार को निर्गत सरिया एवं सीमेन्ट के मूल्य की ठेकेदार के बिल से कटौती नहीं किये जाने के कारण रू0 10,98,457=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –10(क)

(13) मण्डी समिति खटीमा परिसर में आवासीय भवनों की मरम्मत हेतुं निर्गत सामग्री के मूल्य की कटौती ठेकेदार मै0 लक्ष्य कन्स्ट्रक्शन के बिल से नहीं करने के कारण ठेकेदार को रू0 84,000=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –10(ख)

(14) खटीमा से मोहनपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में ठेकेदार मै0 सिंह एसोशिएट्स किच्छा को निर्गत 9=36 मी0टन मैक्स फाल्ट के मूल्य की वसूली नहीं किये जाने के कारण रू0 1,16,719=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ख)

(15) ट्रान्सपोर्ट नगर रामपुर रोड (हल्द्वानी) सम्पर्क मार्ग निर्माण में मै0 आदित्य इन्जीकाम प्रा0लि0 को निर्गत मैक्स फाल्ट क मूल्य की कटौती निर्माण कार्य के बिल से नहीं किये जाने से रू0 9,14,743=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ड.)

(16) रामनगर में सम्पर्क मार्ग मै0 ए0एम0 कान्ट्रक्टर को आर0आर0 चिनाई में पी0डब्ल्यू0डी0 के निर्धारित मानकों से कम सीमेन्ट प्रयोग करने से रू0 1,40,016=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ज)

(17) तल्ला कोंच कफल्टा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य में मै0 देवभूमि कन्स्ट्रक्शन को रू0 1,05,327=38 अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ड)(1)

(18) जिबोला तल्ला चौड़ मोटर मार्ग के जाब–1 में देव भूमि कन्सट्रक्शन को रू0 3,58,309=41 तथा इसी कार्य के जाब–2 में उक्त फर्म को रू0 84,427=45 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ड)(3)

(19) बर्रा अजीतपुर सम्पर्क मार्ग (किच्छा) के निर्माण में ठेकेदार मै0 रजा कन्सट्रक्शन कम्पनी से ईंटों के मूल्य की कटौती नहीं किये जाने से तथा समय बृद्धि अर्थदण्ड नहीं लिये जाने से रू0 4,915=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(ठ)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) मै0 ओखा इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड अम्बाला से क्रय किये गये 50 नमी मापक यन्त्रों में से 29 के मूल्य की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा की गयी थी। शेष 21 यन्त्रों की धनराशि रू0 2,70,270=00 की वसूली सम्बन्धित मण्डी समितियों से नहीं करने से परिषद को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(क)

(2) श्री सुंनील कुमार अवर अभियन्ता द्वारा किच्छा से रूड़की /हरिद्वार स्थानान्तरण के सनय 04 ड्रम मैक्स फाल्ट प्रतिस्थानी को नहीं सौपने के कारण रू0 8,197=60 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(ख)

इंजीनियरिंग कालेज

गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी वर्ष 2001–02 से 2002–03

(क) आर्थिक क्षतिः–निर्माण एजेन्सी से देय वाटर चार्जेज रू0 20,67,035=00 कम वसूली किये जाने से आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –6(5)

(2) आर0ई0एस0 को सड़क निर्माण हेतु प्रेषित रू0 2,00,000=00 से सड़क निर्माण अथवा धनराशि की वापसी नहीं होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –9(1)

वन समितियाँ

1– ग्राम वन समिति गणाई (जिला पिथौरागढ़) वर्ष 2000–01 से 2002–03

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– समिति द्वारा पौधालय निर्माण एवं अनुरक्षण पर रू0 54,973=00 का व्यय किया गया था। वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर नर्सरी से पौधे क्रय किये जाते तो 17,000 पौधों पर मात्र रू0 23,000=00 का व्यय होता। इस प्रकार वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में पौधों के अनुरक्षण आदि पर रू0 31,171=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –(4)

(ख) आर्थिक क्षति :– ग्राम वन समिति की चारा पत्ती, धास आदि से प्राप्त आय रू0 4,833=00 ग्राम विकास निधि में जमा नहीं करने से समिति को आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –3

2– ग्राम वन समिति तल्ला मैसोड़ी (जिला पिथौरागढ) वर्ष 2000–01 से 2002–03

(क) अधिक भुगतान :– ग्राम वन समिति द्वारा 7,350 पौधे रू0 1=10 प्रति की दर से रू0 8,085=00 में क्रय किये गये थे। इस हेतु रू0 8,800=00 का भुगतान करने से रू0 715=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –(6)

3– ग्राम वन समिति वरला काण्डें (जिला पिथौरागढ) वर्ष 1998–99 से 2002–03

(क) आर्थिक /अनियमित भुगतान :– मै0 किसान नर्सरी को पौध क्रय में रू0 1,400=00 का दोहरा भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –12

4– ग्राम वन समिति बड़ावे (जिला पिथौरागढ) वर्ष 2000–01 से 2001–02

(क) आर्थिक क्षति :– सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु स्वीकृत दर से अधिक भुगतान किये जाने के कारण रू0 5,480=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –(9)

5– ग्राम वन समिति खोली कन्यूरी (जिला पिथौरागढ) वर्ष 1999–2000 से 2002–03

(क) अधिक भुगतान :– सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में रू0 1,327=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –(3)

6– ग्राम वन समिति उडियारी (जिला पिथौरागढ) वर्ष 2000–01 से 2002–03

(क) अधिक भुगतान :– श्री चन्दन सिंह चौकीदार को रू0 4,000=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –(3)

परिशिष्ट –"क"

(प्रस्तर–3.1 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क0सं0	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1–	नगर निगम	01
2–	नगर पालिका परिषद	31
3–	नगर पंचायतें	33
4–	विकास प्राधिकरण	05
5–	विश्व विद्यालय	01
6–	डिग्री कालेज	13
7–	इण्टर कालेज	196
8–	जूनियर हाई स्कूल	236
9–	संस्कृत पाठशालाऐं	63
10–	कृषि उत्पादन मण्डी समितियां	16
11–	ट्रस्ट लेखे	76
12–	विविध लेखे	221
13–	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
14–	बेसिक शिक्षा समितियॉ	13
15–	वन विकास निगम	01
16–	उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड	01
17–	वन समितियॉ (अस्थाई)	401
	योग	**1309**

परिशिष्ट– "क–1"

(प्रस्तर–3.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षाऐं :–

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)	01
(2) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल	01
(4) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उधमसिंह नगर	01
योग	04

परिशिष्ट– "क–2"

(प्रस्तर–3.1 में सन्दर्भित)

शत–प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखे :–

(1) इन्जीनियरिंग कालेज	02
(2) मन्दिर समितियॉ	03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे	07
(क) विश्वविद्यालय	04
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01
योग	**12**

परिशिष्ट –"ख"
(प्रस्तर–3.2 में सन्दर्भित)

संस्था का नाम एवं उन पर प्रवृत्त सम्बन्धित अधिनियम :–

1–नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2–नगर पालिकाऐं एवं नगर पंचायतें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3–उत्तरॉचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम–1964
4–बेसिक शिक्षा परिषद एवं जिला बेसिक शिक्षा समितियॉ	उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972
5–राज्य विश्वविद्यालय	उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा संशोधित परिनियिम एवं अध्यादेश)
6–विकास प्राधिकरण	उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973
7–वन निगम	उ0प्र0 वन निगम अधिनियम–1974
8–महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, 1971 शिक्षा संहिता संस्करण 1958 एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921
9–कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तद्धीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।
10–श्रमिक प्रतिकर निधि के लेखे	वर्कमैन कम्पनशेसन ऐक्ट, 1923
11–काजी हाउस के लेखे	कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, 1871
12–मन्दिर समिति	श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति अधिनियम, 1931
13–स्थानीय निकायों के ऋण सम्बन्धी लेखे	लोकल एथारिटीज लोन्स ऐक्ट 1914
14–विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986
15–ट्रस्ट लेखे	चैरिटेबुल इण्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, 1890

वित्तीय नियमावलियॉ

1– वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग 2 से 4

2– वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–3, 5 एवं 6

3– बजट मैनुअल

4– सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985

5– मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स –

अन्य लेखा नियमावलियॉ

1– म्युनिसीपल मैनुअल भाग–एक (संस्करण 1951)

2– नगर पालिका लेखा संहिता

3– उ0 प्र0 कृषि उत्पादन नियमावली, 1965

4– उ0प्र0 अकेन्द्रियित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984

5– जिला परिषद सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1972

6– बाइलाज (उपविधियॉ, रेगुलेशन्स)

7– अन्य नियमावलियॉ एवं अधिनियम जैसा कि अन्य संस्थाओं में लागू हैं।

परिशिष्ट – "ग"

(प्रस्तर–5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट–1892/दस–78–355(10) दिनांक 21 जून,1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :–

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	05 प्रति शत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 2500=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00 या उसके अंश पर	रू0 100=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(च) शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हे निर्धारित हैं।

(छ) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेत भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्तविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट– "घ"

(प्रस्तर–7.1 में सन्दर्भित)

क्र0सं0	जनपद का नाम जहाँ जिला सम्परीक्षा कार्यालय स्थापित है।
1	देहरादून
2	हरिद्वार
3	नई टिहरी
4	पौड़ी (गढ़वाल)
5	चमोली
6	उधमसिंह नगर
7	नैनीताल
8	अल्मोड़ा
9	पिथौरागढ़

परिशिष्ट– "घ–1"

(प्रस्तर–7.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :–

(1) सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षां, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सामान्य लेखा) पन्तनगर।

(2) सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (फार्म लेखा) पन्तनगर ।

(3) सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)।

(4) लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तरांचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर ।

राज्य स्तरीय कार्यालय :–

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, वन विकास निगम नरेन्द्र नगर।

परिशिष्ट–"च"

(प्रस्तर–10.1(1) (ख) में सन्दर्भित)

उत्तरॉचल राज्य में 31 मार्च, 2005 को अवशेष आपत्तियों का विवरणः–

(1) शहरी स्थानीय निकाय	26,791
(2) शिक्षण संस्थायें	25,089
(3) राज्य विश्वविद्यालय	4,355
(4) कृषि विश्वविद्यालय	6,129
(5) मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियॉ	1,267
(6) विविध संस्थायें	9,360
योग	**72,991**

लेखेवार अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण (दिनॉक 31 मार्च, 2005):–

क0 सं0	लेखे की श्रेणी	अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या
1	नगर पंचायत	4317
2	शिक्षण संस्थायें	15313
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	1208
4	उत्तरॉचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	59
5	क्षेत्र समितियॉ	2238
6	चैकित्सिक संस्थायें	552
7	ट्रस्ट लेखे	200
8	विविध लेखे	5341
9	नगर पालिका परिषदें	15472
10	बेसिक शिक्षा समितियॉ	5007
11	महाविद्यालय	3932
12	विकास प्राधिकरण	1287
13	मन्दिर समितियॉ	220
14	म्यूनिसिपल फारेस्ट	278
15	नगर निगम	5715
16	जिला नगरीय विकास अभिकरण	531
17	पालिटेक्निक संस्थायें	245
18	इन्जीनियरिंग कालेज	592
19	विश्वविद्यालय (क) कुमाऊ विश्वविद्यालय (ख) गढ़वाल विश्वविद्यालय	 1442 2913
20	कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (क) सामान्य लेखा (ख) फार्म लेखा	 1999 4130
योग		**72991**

परिशिष्ट - क

(प्रतिवेदन खण्ड के पृष्ठ 12 में संदर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	अपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिप्राप्त सामग्री अभिलेखित स्टाक	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताएं	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	व्यर्थ व्यय	दुर्विनियोग के प्रकरण	अननुमोदित / विविध अनियमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर	200[illegible]–03	1000=00	–	–	–	[illegible]300=00	–	–	–	–
2	नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	2003–04	–	7645=00	–	124752=00	342459=00	–	–	–	–
3	नगर पालिका परिषद, विकासनगर	2003–04	–	4300=00	–	–	13600=00	–	–	–	–
4	नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर	2003–04	–	[illegible]44=00	–	–	–	–	–	–	–
5	नगर पालिका परिषद, मसूरी	2003–04	–	[illegible]192=00	–	–	–	[illegible]600=00	–	–	–
6	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	2003–04	–	[illegible]485[illegible]=00	–	[illegible]105300=00	–	–	–	–	–
7	नगर पालिका परिषद, टिहरी	2003–04	–	—	–	286924=00	212249=00	–	–	–	–
8	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा	2003–04	–	8611=00	–	–	–	–	–	–	–
9	नगर पालिका परिषद, किच्छा	2001–02से 2003–04	–	1025904=00	–	–	235033=00	360190=00	–	–	9869101=00
10	नगर पालिका परिषद, बाजपुर	2001–02 से 2002–03	–	58670=00	–	1633371=00	—	137600=00	–	–	622059=00
11	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	2002–03	272=00	312975=00	–	–	7248=00	3225=00	–	–	–
12	नगर पालिका परिषद, टनकपुर	2002–03से 2003–04	–	–	–	415520=00	158805=00	–	–	–	–
13	नगर पालिका परिषद, गदरपुर	2001–02से 2003–04	–	37005=00	1452132=00	–	–	–	–	–	–
14	नगर पालिका परिषद, रामनगर	2003–04	–	153359=00	–	715985=00	58625=00	–	–	–	–
15	नगर पालिका परिषद, सितारगंज	2000–01से 2003–04	–	66665=00	–	2266684=00	1432509=00	–	–	–	–
16	नगर पालिका परिषद, जसपुर	2003–04	–	10800=00	–	1177071=00	17310=00	–	–	–	239629=00
17	नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	2002–03	–	–	–	–	3289=00	–	–	–	–
18	नगर पालिका परिषद, पौड़ी	2003–04	–	8000=00	–	–	3439=00	–	–	–	–
19	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	2003–04	–	383759=00	4782=00	–	210828=00	–	–	–	–
20	नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी	2003–04	300=00	–	–	–	1324840=00	–	–	5200=00	–
21	नगर पालिका परिषद, खटीमा	1998–99से 2002–03	–	124953=00	–	–	401650=00	143350=00	–	–	–
22	नगर पालिका परिषद, भवाली	2001–02से 2002–03	–	–	177639=00	–	1192673=00	–	–	–	–
23	नगर पालिका परिषद, दुगड्डा	2003–04	–	40496=00	–	–	27048=00	–	–	–	–
24	नगर पालिका परिषद, कोटद्वार	2002–03	–	9890=00	–	–	–	–	–	–	–
	योग		1572=00	2492119=00	1634553=00	6725687=00	5715315=00	686965=00	–	5200=00	10730789=00

नगर पंचायतें

परिशिष्ट – छः का भाग

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताएं	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अननुमोदित/ विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	नगर पंचायत, कर्ण प्रयाग	2002–03	–	–	–	–	1150=00	–	–	–	–
2–	नगर पंचायत, डोईवाला	2003–04	–	6650=00	–	–	–	–	–	–	–
3–	नगर पंचायत, हर्बटपुर	2003–04	–	15420=00	–	–	–	–	–	–	–
4–	नगर पंचायत, चम्बा	2003–04	–	63532=00	–	–	–	14600=00	–	–	–
5–	नगर पंचायत, मुनि की रेती	2003–04	–	–	–	–	171994=00	–	–	–	–
6–	नगर पंचायत, देवप्रयाग	2003–04	–	2467=00	–	52915=00	–	34854=00	–	–	–
7–	नगर पंचायत, बड़कोट	2003–04	–	–	135000=00	–	11000=00	–	–	–	–
8–	नगर पंचायत, लण्डौरा	2003–04	–	3000=00	–	–	–	–	–	–	–
9–	नगर पंचायत, झबरेड़ा	2003–04	–	12400=00	–	–	–	28160=00	–	–	–
10–	नगर पंचायत, ह्वाराहाट	2003–04	–	–	–	–	8484=00	–	–	–	–
11–	नगर पंचायत, भीमताल	2003–04	4585=00	1400=00	–	–	–	45821=00	–	–	–
12–	नगर पंचायत, महुआ डावरा	2003–04	24160=00	2500=00	–	–	–	6168=00	–	–	–
13–	नगर पंचायत, चम्पावत	2003–04	–	5255=00	–	–	7800=00	–	–	–	–
14–	नगर पंचायत, केलाखेड़ा	2003–04	–	22443=00	59956=00	–	–	–	–	–	–
15–	नगर पंचायत, कालाढुगी	2002–03 एवं 2003–04	–	19891=00	–	–	317692=00	101490=00	–	–	–
16–	नगर पंचायत, दिनेशपुर	2003–04	600=00	–	–	–	–	–	–	–	–
17–	नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी	2003–04	–	1535=00	–	–	–	–	–	–	–
18–	नगर पंचायत, शक्तिगढ़	2003–04	–	75423=00	–	–	70000=00	–	–	–	–
19–	नगर पंचायत, महुआ खेड़ा गंज	2003–04	–	13970=00	–	–	5325=00	–	–	–	–
20–	नगर पंचायत, लालकुँआ	2003–04	–	4732=00	–	–	423917=00	2128=00	–	–	–
	योग		29345=00	250618=00	194956=00	52915=00	1017362=00	233221=00	–	–	–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

परिशिष्ट – छः का भाग

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित / विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	कृषि उ0म0समिति, देहरादून	2003–04	—	4888=00	—	—	—	361180=00	—	—	—
2–	कृषि उ0म0समिति, रूड़की	2003–04	—	—	—	—	2750=00	—	—	—	—
3–	कृषि उ0म0समिति, मंगलौर	2003–04	—	—	—	—	145980=00	—	—	—	—
4–	कृषि उ0म0समिति, रामनगर	2002–03एवं 2003–04	—	2025=00	—	—	47812=00	—	—	—	—
5–	कृषि उ0म0समिति, टनकपुर	2001–02से 2003–04	—	—	—	— —	202817=00	—	—	— —	— —
6–	कृषि उ0म0समिति, किच्छा	2003–04	—	2604=00	—	—	3006=00	4470=00	—	—	—
7–	कृषि उ0म0समिति, काशीपुर	2003–04	—	597024=00	—	—	—	—	—	—	—
8–	कृषि उ0म0समिति, रूद्रपुर	2003–04	—	60990=00	—	—	114169=00	—	—	—	—
9–	कृषि उ0म0समिति, सितारगंज	2000–01से 2003–04	—	—	—	—	3050=00	—	—	—	—
10–	कृषि उ0म0समिति, बाजपुर	2003–04	—	5980=00	—	—	101724=00	1264=00		—	—
	योग	—	—	673511=00	—	—	621308=00	366914=00	—	—	—

इण्टर कालेज / शिक्षण संस्थायें

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित / विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	शिक्षा निकेतन जू0हा0 स्कूल मुनि की रेती	2002–03 2003–04	—	42890=00	—	—	—	—	0		
2–	लाल बहादुर शास्त्री जू0हा0 स्कूल, ढालवाला	2002–03 एवं 2003–04	—	37686=00	—	—	—	—	—	—	—
3–	जय किसान इण्टर कालेज रौड़धार	2003–04	—	2100=00	—	—	—	—	—	—	—
4–	डा0 हरिराम आर्य इण्टर कालेज मायापुर	2002–03 एवं 2003–04	—	2200=00	—	—	—	—	—	—	—
5–	आर0एम0पी0 इण्टर कालेज गुरूकुल नारसन	2002–03 एवं 2003–04	—	1530=00	—	—	—	—	—	—	—
	योग	—	—	86406=00	—	—	—	—	—	—	—

राष्ट्रीय सेवा योजना

परिशिष्ट – छः का भाग

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित/ विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्व विद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)	2003–04		3100=00							
1–	गोविन्द बल्लभ पन्त कृ0 एवं प्रौ0 वि0वि0 पन्तनगर (कुमाऊँ)	2003–04		20041=00							
	योग	—	—	23,141=00	—	—					

विकास प्राधिकरण

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित/ विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून	2003–04	—	16260=00	—	—	—	—	—	—	
	योग	—	—	16260=00	—	—	—	—	—	—	

बेसिक शिक्षा समितियाँ

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित/ विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	बेसिक शिक्षा समिति टिहरी	2002–03 एवं 2003–04	—	—	311895=00	—	—	—	—	—	—
2–	बेसिक शिक्षा समिति पौड़ी	2001–02 से 2003–04	—	—	106085=00	—	13600=00	—	—	—	—
	योग	—	—	—	417980=00	—	13600=00	—	—	—	—

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

परिशिष्ट – छः का भाग

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित/ विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी	2003–04	—	5152656=00	—	—	278467=00	—	—	—	
	योग	—	—	5152656=00	—	—	278467=00	—	—	—	

इंजीनियरिंग कालेज

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित/ विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौडी	2001–02एवं 2002–03	—	—	—	—	2267035=00	—	—	—	
	योग	—	—	—	—	—	2267035=00	—	—	—	

ग्राम वन समितियाँ

क0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित/ विविध अनिमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	ग्राम वन समिति, गणाई	2000–01 से 2002–03	—	31171=00	—	—	4833=00	—	—	—	—
2–	ग्राम वन समिति, तल्ला मैसौली	2000–01 से 2002–03	—	715=00	—	—	—	—	—	—	—
3–	ग्राम वन समिति, वरला काण्डे	1998–99 से 2002–03	—	1400=00	—	—	—	—	—	—	—
4–	ग्राम वन समिति, बडावे	2000–01 से 2001–02	—	—	—	—	5480=00	—	—	—	—
5–	ग्राम वन समिति, खोली कन्तूरी	1999–2000से 2002–03	—	1327=00	—	—	—	—	—	—	—
6–	ग्राम वन समिति, उडियारी	2000–01 से 2002–03	—	4000=00	—	—	—	—	—	—	—
	योग	—	—	38613=00	—	—	10313=00	—	—	—	—

सारांश

परिशिष्ठ – छः का भाग

क्र0 सं0	लेखे का नाम	व्यपहरण	अनियमित अधिक व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताऐं	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	अनानुमोदित / विविध अनिमितताएं	दुर्विनियोग के प्रकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	नगर पालिका परिषदे	1572=00	2492119=00	1634553=00	6725687=00	5715315=00	686965=00	–	10730789=00	5200=00	27992200=00
2–	नगर पंचायतें	29345=00	250618=00	194956=00	52915=00	1017362=00	233221=00	–	–	–	1778417=00
3–	कृ0उ0 मण्डी समितियॉ	–	673511=00	–	–	621308=00	366914=00	–	–	–	1661733=00
4–	उत्तरांचल कृ0उ0म0परिषद	–	5152656=38	–	–	278467=00	–	–	–	–	5431123=00
5–	बेसिक शिक्षा समितियाँ	–	417980=00	–	–	13600=00	–	–	–	–	431580=00
6–	राष्ट्रीय सेवा योजना	–	23141=00	–	–	–	–	–	–	–	23141=00
7–	विकास प्राधिकरण	–	16260=00	–	–	–	–	–	–	–	16260=00
8–	इन्जीनियरिंग कालेज	–	–	–	–	2267035=00	–	–	–	–	2267035=00
9–	इण्टर कालेज / शिक्षण संस्थायें	–	86406=00	–	–	–	–	–	–	–	86406=00
10–	ग्राम वन समितियाँ	–	38613=00	–	–	10313=00	–	–	–	–	48926=00
	योग	30917=00	9151304=00	1829509=00	6778602=00	9923400=00	1287100=00	––	10730789=00	5200=00	39736821=00

उत्तरांचल शासन

वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–2

(सहकारी समितियां एवं पंचायतें)

वर्ष

2004–2005

प्रतिवेदकः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल, देहरादून।

1— प्रशासनिक खण्ड

उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 एवं उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा इस विभाग के सहकारी समितियां एवं पंचायते लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 8 (3) के अधीन वर्ष 2003–2004 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर जा चुका हैं।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने के उपरान्त शासन के प्रशासकीय विभागों यथा प्रमुख सचिव एंव आयुक्त वन एंव ग्राम्य विकास, सचिव, सहकारिता उत्तरांचल शासन, निबंधक, सहकारी समितियां, निदेशक, पंचायती राज विभाग, दुग्ध आयुक्त, उत्तरांचल, को अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु ,प्रतिवेदन की प्रति भेजी गयी परन्तु सहकारी एंव दुग्ध संस्थाओं यथा जिला सहकारी बैकों, केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डारों, सहकारी चीनी मिलों, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों व क्षेत्र पंचायतों आदि संस्थाओं द्वारा आपत्तियों के अनुपालन में पर्याप्त रूचि नही ली गई। फलस्वरूप उक्त संस्थाओं पर बड़ी संख्या में आपत्तियां लम्बित है। अतः भविष्य के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की जानी अपेक्षित है कि सम्प्रेक्षाधीन संस्थायें, आडिट आपत्तियों के अनुपालन की दिशा में प्रयासरत रहें ताकि सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके। इस प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2004–05 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2— विभागीय प्राधिकार के स्रोत :–

2.1 उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 तथा उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 40 तथा पंचायतराज नियमावली 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली 1999 के नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है। सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा–परीक्षा अधिनियमों, नियमावलियों सहकारिता विभाग पंचायत राज विभाग तथा नाबार्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आधार पर की जाती है।

3– सम्परीक्षाधीन लेखे —

3.1 वर्ष 2004–05 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं के लेखों की संख्या 2740 और पंचायतराज संस्थाओं की संख्य 7359 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" भाग "एक" में दिये गये हैं।

3.2 सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, क सूची *परिशिष्ट 'ख'* में दी गयी है।

4– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य —

4.1 – राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ–साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही है और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैक/नाबार्ड/निबन्धक,सहकारी समितियॉ द्वारा निर्धारित अंक पद्यति के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाते हैं और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं, की समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरूत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2–सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप::

- 1– सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं, उद्योग संस्थाओं, दुग्ध संस्थाओं, आवास संस्थाओं, मत्स्य संस्थाओं, गन्ना संस्थाओं व पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

- 2–उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3– उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4– सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5– सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय–व्यय, रोकड़पत्र एवं लाभ–हांनि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।
- 6– भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरूप सहकारी संस्थाओं का उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

- 7– सहकारी संस्थाओं की बकाया धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप एन0पी0ए0 का निर्धारण करना।
- 8– विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9– सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11– विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियॉ आयोजित करना।
- 12– सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 13– सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत प्राधिकारियों के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 14–उपर्युक्त सहकारी सवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 15– शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5 – प्रभागीय आय–व्ययक :–

5.1 यद्यपि सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सहकारी एवं पंचायतराज संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन है और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक हैं। इस बात का उल्लेख यहॉ विशेषतया इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि सम्परीक्षाधीन संस्थाओं द्वारा कभी–कभी इस प्रकार की शंकाऐ व्यक्त की जाती है कि सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग भी सहकारी संस्थाओं की तरह अशासकीय तो नही है।

5.2 – इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

5.3 – लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (परिशिष्ट 'ग') उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

6 – विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :– वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है:–

क0सं0	*वित्तीय वर्ष*	*व्यय(रूपये)*	*आरोपित सम्प0शुल्क(रू0)*
1–	2004–2005	2,16,85,558.00	67,16,400.00

6.2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नही की जा सकती है।

7.1– विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :– उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा0 सं0 5058/वि0शा0स0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियंन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रूप में कार्यरत है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि–स्तरीय है :–

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची ***परिशिष्ट "घ"*** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त संवर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है।

7.2–1– मुख्यालय स्तर :– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। सम्प्रति विभागाध्यक्ष श्री यशपाल सिंह, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल हैं।

7.2–2– मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रूप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर–8 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, सन्तुलन पत्रों का प्रमाणीकरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :– लेखा परीक्षाधीन ईकाइयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित हैं। सभी जनपदों में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा के जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी हैं। लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त किये गये हैं जो सम्बन्धित जनपद में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते हैं।

8– प्रभाग की जनशक्ति :– वर्ष 2004–05 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्रम0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं0	रिक्तपद संख्या	प्रतिशत
1–	समूह''क''	03	01+1	01	67
2–	समूह''ख''	18	10	08	56
3–	समूह ''ग''				
	ज्ये0 ले0 परीक्षक ग्रेड–1	08}	02}	06}	
	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	243} 320	81} 87	162} 233	27
	लेखा परीक्षक	69}	04}	65}	
	लिपिक वर्गीय	56	29	27	52
4–	समूह ''घ''	39	15	24	38
	योग	436	143	293	

9– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2004–05 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:– वर्ष 2004–2005 में दो तिहाई पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 10099 लेखाओं में से 3835 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी । 27 प्रतिशत स्टाफ से 37.97 प्रतिशत आडिट कार्य सम्पन्न किया गया। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंको, जिला सहकारी दुग्ध संघो की लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर की गयी है। इस प्रकार शेष 62.03 प्रतिशत अर्थात 6264 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नही करायी जा सकी।

10.1.1 – ***सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें :–***

(क) सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2004–2005 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उद्घाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू0 ***3,11,53,321.00*** की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	***शीर्षक***	***धनराशि***
1–	व्यपहरण	19,40,441.00
2–	अनियमित/अधिक भुगतान	46,82,113.00
3–	राजस्व हानि	25,692.00
4–	आर्थिक क्षति	62,98,449.00
5–	विविध अनियमितताये	1,82,06,626.00
	योग	***3,11,53,321.00***

10.1.2 — विशेष सम्परीक्षाऐं :– प्रभाग के लेखा परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/ गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणो की विशेष जांच संस्था के अनुरोध पर

शासन की स्वीकृति से अथवा प्रत्यक्ष शासनादेश से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2004–2005 में काष्ठ एवं लौह कला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0 नथुवावाला, देहरादून की विशेष लेखा परीक्षा करायी गयी ।

10.2.1 —सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :– वर्ष 2004–2005 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :–

	(रूपयों में)
01 अप्रैल, 2004 को प्रारम्भिक शेष	22,58,052.00
वर्ष में स्थापित मांग	67,16,400.00
योग	*89,74,452.00*
वर्ष में समाहरण	62,25,424.00
31 मार्च, 2005 को बकाया	**27,49,028.00**

10.2.2— वर्ष 2004–05 में अवधारित लेखा परीक्षा शुल्क रू0 67,16,400.00 में से दिनांक 31.3.2005 तक रू0 57,17,271.00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं से राजकीय कोषागार में जमा कराया जा चुका है जो वर्ष में स्थापित मांग का 85 प्रतिशत है। विगत वर्षो के बकाया लेखा परीक्षा शुल्क में रू0 22,58,052.00 में से रू0 5,08,153.00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का जमा किया जा चुका है।

11– **निष्कर्ष :–** प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2004–2005 में 2740 सहकारी संस्थाओं एवं 7359 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा करनी थी। जनशक्ति की कमी के कारण बैकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर की परिधि में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए अधिकांश संस्थाओं की (1102 सहकारिता एवं 2733 पंचायत) लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रूपये 3,11,53,321.00 की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण, दुर्निवियोग,अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट हैं।

(यशपाल सिंह)
निदेशक।

2– कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तरांचल

(वर्ष 2004–2005)

वर्ष 2004–05 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उद्घाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र0सं0	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1–	जिला सहकारी बैंक लि0	79,40,641.00
2–	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	16,87,544.00
3–	जिला भेषज एंव सहकारी विकास संघ लि0	1,71,057.00
4–	केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डार	73,679.00
5–	किसान सेवा/दीर्घा0/साधन समितियॉ	51,92,734.00
6–	गन्ना सहकारी समितियॉ	5,06,516.00
7–	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0/समितियां	81,91,763.00
8–	मत्स्य जीवी सहकारी समितियां	6196,322.00
9–	ग्राम पंचायते	11,93,012.00
	योग	**3,11,53,321.00**

विस्तृत विवरण परिशिष्ट ड. में दिया गया है।

वर्ष 2004–2005 में सम्पन्न विशेष सम्परीक्षाऐं

:: जिला सहकारी बैंक ::

जिला सहकारी बैंक लि0,हरिद्वार (रूड़की) जनपद–हरिद्वार (वर्ष 2003–04)

अनियमित भुगतान :–

1 –बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 12 के प्रतिकूल कर्मचारियों को रू0 1,95,438.00 बोनस का अनियमित भुगतान किया गया था ।

भाग (अ) प्रस्तर– 2

2– निबन्धक सहकारी समितियां,उत्तरांचल के परिपत्र सी–1275/अधि0/01–02 दिनांक 20/22–02–2002 के निर्देशों के विरूद्ध रू0 6,85,959.00 क्लोजिंग भत्ते का कर्मचारियों को अनियमित भुगतान किया गया था ।

भाग (अ) प्रस्तर– 3

3– निबन्धक द्वारा एक्सग्रेसिया का बोनस के साथ भुगतान न करने के आदेशों के विरूद्ध बिना मानक एवं सीमा के रू0 5,81,294.00 का अनियमित भुगतान किया गया था ।

भाग(अ) प्रस्तर–356

4–कर्मचारियों की भविष्य निधि पर सामान्य दर से 3.40 प्रतिशत अधिक ब्याज दर पर रू0 4,31,531.00 का अनियमित भुगतान किया गया था ।

भाग(अ) प्रस्तर– 4

5–कर्मचारियों की जमानत पर दिनांक 1–4–2003 से 30–9–2003 तक 3.50 प्रतिशत के स्थान पर 11 प्रतिशत की दर से रू0 8,220.00 का अनियमित भुगतान किया गया था ।

भाग (अ) प्रस्तर– 19

राजस्व हॉनि :–

6–विविध व्यय रू0 35,500.00 पर 5 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 न काटने से रू0 1,675.00 राजस्व की हॉनि हुई।

भाग(ब) प्रस्तर– 307

विविध अनियमिततायें :–

7– दिनांक 31–3–2004 को अर्जित शेष अवकाश के नकदीकरण की देय धनराशि रू0 20,36,542.00 का प्राविधान लाभ–हॉनि खाते में न किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 5

8– नाबार्ड के परिपत्र सं0 193 डी0ओ0एस0–21 दिनांक 17–8–2002 के अनुरूप अस्तियों के वर्गीकरण के लिए रू0 19,52,000.00 में से रू0 1,90,000.00 का यथेष्ट प्राविधान न किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर–359

9– बैंक विनियम अधिनियम 1949 की धारा 19 के अनुसार अंशधन में रू0 18,39,000.00 विनियोजन नही किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर–13

10– बैंक ब्याज वरीयता क्रम में वसूल न करने से रू0 21,290.00 ब्याज की हॉनि हुई थी ।

भाग (ब) प्रस्तर–96

जिला सहकारी बैंक लि0,देहरादून, जिला–देहरादून (वर्ष 2002–2003)

अनियमित/अधिक भुगतान :–

1– निबन्धक के परिपत्रांक 1275 /अधि0/2001–02 दिनांक 20/22–3–2002 के प्राविधानों के विपरीत वेतनमानों के अधिकतम सीमा से अधिक वेतन निर्धारण कर कर्मचारियों को रू0 6,61,680.00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–1

2– कर्मचारियों को बोनस की सीमा रू0 2,500.00 मासिक वेतन के आधार पर रू0 3,500.00 को आधार मानकर रू0 98,343.00 बोनस का अधिक भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

3– निबन्धक उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्रांक सी–9 /अधि0/ दिनांक 10–5–95 के प्राविधानों के विपरीत बैंक कर्मचारियों को रू0 10,58,507.00 एक माह के वेतन के बराबर वार्षिक लेखा बन्दी भत्ते का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग– (अ) प्रस्तर–3

4– कैडर सेवा के अधिकारियों को बोनस तथा वार्षिक लेखा बन्दी भत्ते का रू0 80,857.00 का अनियमित भुगतान किया गया था ।

भाग (अ) प्रस्तर–4

अरबन कोआपरेटिव बैंक

उत्तराखण्ड कोआपरेटिव बैंक लि0 ऋषिकेश जिला देहरादून (वर्ष 99–2000 से 2000, 2000–2001 तक)

व्यपहरण :–

1– सदस्यों से प्राप्त अंशधन में से रू0 23,700.00 को खातों में लेखाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–1

आर्थिक क्षति :–

2– रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना 2 विस्तार पटल खोलने से रिजर्व बैंक को दण्ड रू0 50,100.00 भुगतान करने से आर्थिक क्षति हुई ।

भाग (अ) प्रस्तर–2

विविध अनियमिततायें:–

3– बैंक में संकलित हॉनि रू0 15,56,744.00 होने के कारण सदस्यों का अंशधन असुरक्षित है।

भाग (ब) प्रस्तर–3

गढ़वाल कोआपरेटिव बैंक लि0,ऋषिकेश, जनपद देहरादून (वर्ष 2002–03)

अनियमित भुगतान :–

1– वर्ष 2000–01 में साज–सज्जा/सामग्री क्रय हेतु अग्रिम रू0 57,000.00 का समायोजन/वसूली न किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–2

जिला भेषज एवं सहकारी विकास संघ

बागेश्वर जिला भेषज एवं क्रय–विक्रय संघ लि0,बागेश्वर जिला–बागेश्वर (वर्ष 2001 से 2002–2003 तक)

विविध अनियमिततायें :–

1– वन उपज हेतु कास्तकारों को दिये गये अग्रिम के एवज में न तो वन उपज संघ में जमा की गई और नही अग्रिम जमा की गई । अग्रिम की धनराशि ब्याज सहित रू0 24,200.00 का समायोजन न किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–1

2– संघ के प्रशासक को समय–समय पर दिये गये कुल अग्रिम रू0 3,790.00 का समायोजन / वसूली न किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–2

जिला श्रमिक भेषज सहकारी संघ लि0,हरिद्वार,जनपद–हरिद्वार (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण:–

1– कैश रसीद से प्राप्य आय को रू0 3,000.00 से कम कोषाकिंत कर व्यपहरण किया गया ।

भाग(अ) प्रस्तर– 01

जिला सहकारी विकास संघ लि0,हरिद्वार,जनपद–हरिद्वार वर्ष (वर्ष 2002–03)

राजस्व हॉनि :–

1–आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 जे के अधीन स्रोत पर आयकर रू0 24,017.00 की कटौती करने के कारण राजस्व की हॉनि हुई ।

भाग(अ) प्रस्तर– 03

विविध अनियमिततायें:–

2– विगत वर्ष में परिवहन ठेकेदार को किये गये अधिक भुगतान रू0 7,425.00 के स्थान पर रू0 4,725.00 की वसूली किये जाने से रू0 2700.00 की हॉनि हुई।

भाग(ब) प्रस्तर– 04

सीमान्त सहकारी संघ लि0 वि0क्षे0 दसौली जनपद–चमोली (वर्ष 97–98)

व्यपहरणः–

1– प्रमाण रहित भुगतान रू0 2,970.00 का दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2,3

2– शाखा हेतु प्रमाण रहित अग्रिम भुगतान रू0 500.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–6

3– रूद्रप्रयाग शाखा के कार्यालय का किराया किराया 01 ही माह का रू0 1,400.00 दो बार भुगतान कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–13

4– शाखा ऋषिकेश से प्राप्य आय कोषाकिंत न कर रू0 13,700.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 16

5– संस्था धन रू0 25,000.00 का पुष्टि रहित भुगतान कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–21

6– प्राप्य जमानत की धनराशि रू0 60,500.00 कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–22

7– संघ द्वारा संचालित गाड़ियों के कन्डक्टर द्वारा वे–विल से प्राप्त आय रू0 2,780.00 कैश बुक में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–24

अनियमित भुगतान :–

8– प्रमाण रहित विज्ञापन/वकील फीस व परिवहन संघ व्यय रू0 6,500.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–1,4,5 व 7

केन्द्रीय थोक उपभोक्ता भण्डार

थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0,जनपद–हरिद्वार (वर्ष 2002–03)

व्यपहरणः–

1– भौतिक सत्यापन में कम पाये गये स्टाक का मूल्य रू0 46,349.00 बिक्री खाते में क्रेडिट न करते हुए बैंक में जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–1 व 2

आर्थिक क्षति :–

2– स्टेट बैंक आफ इण्डिया में खोले गये चालू खाते में लेन देन न किये जाने के कारण बैंक द्वारा रू0 2,333.00 प्रासंगिक व्यय की कटौती किये जाने से उपभोक्ता भण्डार को आर्थिक क्षति हुई ।

भाग (अ) प्रस्तर–1

विविध अनियमिततायें :–

3– व्यापारिक उद्धेश्य से लिये गये ऋण के विरूद्ध वर्ष के अन्त में अवशेष स्टाक रू0 24,997.00 न रखा अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर–4

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां

दाबकी कलां किसान सेवा सहकारी समिति लि0,वि0क्षे0 लक्सर,जनपद–हरिद्वार (वर्ष 2001–02)

व्यपहरण :–

1– विभिन्न कैश रसीदों का धन रू0 2,880.00 कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–2 का 3 से 6

अनियमित/अधिक भुगतान :–

2– श्री महेश चन्द्र शर्मा को यात्रा भत्ता का रू0 227.00 अधिक भुगतान किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–8–1

3– गेहूँ के हैण्डलिंग चार्जेज व ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज का निर्धारित दर से उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण रू0 11,193.00 का अधिक भुगतान किया गया था ।

भाग (अ) प्रस्तर–22–1,2

आर्थिक क्षति :–

4– वर्ष में खरीद गेहूँ की मात्रा के विरूद्ध 741.200 कुन्तल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को कम भेजने से रू0 4,595.00 की आर्थिक क्षति हुई है। क्योकि समिति का अपना कोई भण्डार गृह नही है।

भाग (अ) प्रस्तर–22–1

5– समिति का नकद धन निर्धारित सीमा से अधिक रोक कर रू0 13,741.00 ब्याज की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–10

किसान सेवा सहकारी समिति लि0,बादशाहपुर वि0क्षे0 बहादराबाद, जनपद हरिद्वार (वर्ष 1997–98)

व्यपहरण :–

1– कैश रसीदो की धनराशि कम कोषांकित कर रू0 1,200.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– वेतन भुगतान पंजिका में रू0 273.00 अधिक दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

3– उर्वरक बीज व दवाईयों का स्टाक बिक्री से अधिक का घटाकर रू0 73,226.00 का व्यपहरण किया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

आर्थिक क्षति :–

4– निर्धारित सीमा से अधिक रोकड़ को हस्तगत रखने से रू0 7,194.00 से ब्याज की क्षति हुई है।

भाग (अ) प्रस्तर–5

अनियमित भुगतान :–

5–सदस्यों को बीज अनुदान का रू0 19,032.00 अधिक भुगतान किया गया था ।

भाग(ब) प्रस्तर–7

विविध अनियमिततायें :–

6– रोकड़पत्र/कार्य विवरण पत्र के मिलान पर कर्जा सदस्य व सूद सदस्य मद में रू0 2,67,444.00 असमाधानित था।

भाग (ब) प्रस्तर–8

7– रोकड़पत्र/कार्य विवरण पत्र के मिलान पर अंशधन शीर्ष में रू0 99,245.00 का अन्तर असमाधानित था।

भाग (ब) प्रस्तर–9

8–विभिन्न खातों का मिलान करने पर रू0 ,3,85,721.00 का अन्तर असमाधानित था।

भाग (ब) प्रस्तर–10

साधन सहकारी समिति लि0, ढालवाला,वि0क्षे0 फकोट जिला–टिहरी–गढ़वाल
(वर्ष :– 2002–03)

व्यपहरणः–

1– खाद बिक्री रू0 13,173.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

विविध अनियमिततायेंः–

2– बिना यात्रा देयक प्रस्तुत किये रू0 10,380.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर–1

3– सामान्य खाता में रू0 5,315.00 असमाधानित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 5

साधन सहकारी समिति लि0,आमपाटा, वि0क्षे0–फकोट,जिला टिहरी गढ़वाल
(वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– खाद की बिक्री रू0 20,405.00 को कोषांकित न कर धनराशि का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3 व 4

विविध अनियमिततायें :–

2– सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अभाव में रू0 9,000.000 का भुगतान किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर–1

3– वेतन भुगतान रू0 5,000.00 की प्राप्ति रसीद न लिया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–2

साधन सहकारी समिति लि0,मरोड़ागाड़,वि0क्षे0 फकोट,जिल –टिहरी–गढ़वाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण:–

1–सदस्यों से ऋण की वसूली रू0 26,243.00 को कैशबुक में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1

2– कैश बैलेन्श रू0 3,000.00 को चार्ज में न देकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 2

साधन सहकारी समिति लि0 पोखरी,वि0क्षे0 फकोट,जिला टिहरी–गढ़वाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– क्रय खाद की स्टाक पंजी में आमद न दर्शित कर रू0 14,434.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1

साधन सहकारी समिति लि0,लवा,वि0क्षे0 फकोट,जिला –टिहरी–गढ़वाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– कुर्क अमीन द्वारा की गई वसूली रू0 2,875.00 को कैशबुक में न दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1

2–बिना प्रमाणक के रू0 10,000.00 नकद भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

3– खाद बिक्री रू0 22,912.00 को कैश बुक में जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

साधन सहकारी समिति लि0,मुखेम वि0क्षे0–प्रतापनगर,जिला टिहरी–गढ़वाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

2–खाद बिक्री के रू0 4,275 को कोषबही में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1

साधन सहकारी समिति लि0,सिलारी वि0क्षे0 प्रतापनगर जिला–टिहरी–गढ़वाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1–सदस्यों के खातों में जमा धनराशि रू0 5,500.00 को कैश बुक में दर्शित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–1

विविध अनियमिततायें:–

2– दीगर पावना रू0 22,170.00 की वसूली न किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–2

साधन सहकारी समिति लि0,तुगांली,वि0क्षे0–चम्बा, जिला टिहरी गढ़वाल (वर्ष 2001–02 व 2002–2003)

व्यपहरण :–

1– कैश बुक में रू0 400.00 कमदर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2–खाद बिक्री रू0 3,233.00 से कम कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

3– बैंक से आहरित धन रू0 1,800.00 कैश बुक में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

4– अन्तोदय योजना के अन्तर्गत गेहूँ बिक्री रू0 630.00 व मिनी बैंक से लिया गया धन रू0 900.00 कुल रू0 1,530.00 की कैश बुक में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर 4 व 5

विविध अनियमिततायें :–

5– मियादी अमानतो के प्रमाणको पर मनमाने ढंग से परिपक्व अवधि को बढ़ाकर रू0 49,343.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर–6 व 7

सौरा सालू साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–भटवाड़ी जिला–उत्तरकाशी (वर्ष 2001–02 व 2002–03)

व्यपहरण :–

1–कैश बुक में आय पक्ष का योग कम दर्शित कर रू0 33,060.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1

2– विक्रेता द्वारा रू0 15,201.00 रोकड़ शेष की धनराशि जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 5

3–बीमा से प्राप्त राशि रू0 9,212.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1

4– सदस्यों से प्राप्त वसूली कर राशि रू0 4,230.00 को कैश बुक में जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

विविध अनियमिततायें :–

5–कार्यविवरण पत्र तैयार न कर तथा सदस्यों के एक ही अवधि में दो–दो खाते रखने से ऋण व्यवसाय में रू0 29,37,349.00 का अन्तर विद्यमान था।

भाग (ब) प्रस्तर– 3

6– बैंक देय ऋण से सदस्यों पर रू0 9,83,056.00 कम लगा ऋण दर्शित किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर– 4

7– गोदाम निर्माण व्यय का रू0 22,108.00 से अधिक भुगतान अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर– 6 से 8

8– गोदाम किराया रू0 600.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर– 9

बाराकोट साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0– बाराकोट जिला चम्पावत
(वर्ष 2002–2003)

व्यपहरण:–

1– बिना प्रमाण के अमानत वापसी का भुगतान दर्शाकर रू0 11,000.00 व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–1

2– बैंक एडवाईज से प्राप्त आय रू0 8,600.00 की प्रविष्टि कैश बुक के आय पक्ष में लेखांकित न कर शेष रोकड़ का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 2 व 3

3– कैश बुक के आय पक्ष का योग रू0 18,136.00 से कम दर्शित कर रोकड़ का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

4– वर्ष 1998–99 व 99–2000 में रू0 28,201.00 से बिक्री कम जमा कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 5

5– उपभोक्ता सामान की बिक्री धनराशि रू0 6,028.00 जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 6

जिंनगाल बिषौना खान साधन सहकारी समिति लि0,वि0क्षे0– कनालीछीना जिला–पिथौरागढ़ (वर्ष 2001–02)

व्यपहरण :–

1– कैश बुक में त्रुटिपूर्ण लेखांकन कर रू0 10,689.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग–अ प्रस्तर–1

सटगल साधन सहकारी समिति लि0 वि0क्षे0– मीड, जिला–पिथौरागढ़
(वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– खरीद माल की आमद स्टाक पंजिका में आमद न दर्शित कर रू0 18,375.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर– 1

2– बिक्री धन रू0 16,252.00 कम कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।
भाग–अ प्रस्तर–2

बलगढ़ी साधन सहकारी समिति लि0,वि0क्षे0– बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़
(वर्ष 2003–04)

व्यपहरणः–

1–कैश रसीदों से प्राप्त आय को कोषांकित न कर रू0 9,458.00 का व्यपहरण किया गया।
भाग–अ प्रस्तर–1

2– कैशबुक के योग त्रुटिपूर्ण अंकित कर रू0 80,060.00 का व्यपहरण किया गया।
भाग–अ प्रस्तर–2

3– व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये बिना रू0 4,468.00 की धनराशि कैश बुक से कम कर व्यपहरण किया गया।
भाग–अ प्रस्तर–3

विविध अनियमिततायेंः–

4– सन्तुलन पत्र एवं कार्य विवरण पत्र में 31–3–2004 को रू0 1,15,311.00 ऋण कम दर्शित किया गया है।
भाग–ब प्रस्तर–4

तपोवन साधन सहकारी समिति लि0,वि0क्षे0–जोशीमठ जिला–चमोली
(वर्ष 1987–88 से 2002–03 तक)

व्यपहरण :–

1–उर्वरक बिक्री की धनराशि रू0 2,16,775.00 कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।
भाग–(अ) प्रस्तर–3,12, 13 से 16 18,19,25,27 से 32,34,35,37 से 47 व 50 से 55

2– एफ0डी0 खाते पर बैंक से प्राप्त ब्याज रू0 2,642.00 की प्रविष्टि कैश बुक में आय पक्ष में न दर्शित कर सीधे व्यय पक्ष में अंकित करने से शेष रोकड़ को प्रभावित कर व्यपहरण किया गया।
भाग–(अ) प्रस्तर–1 व 2

3– बिक्री रू0 571.00 को कोषबही में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।
भाग–(अ) प्रस्तर–6,7 व 8

4– समिति बिक्री की धनराशि रू0 10,500.00 को अपनी जमा अमानत में जमा दर्शाकर तथा आहरण कर व्यपहरण किया गया।
भाग–(अ) प्रस्तर–1

5– स्टेशनरी क्रय रू0 216.00 का भुगतान दोबार दर्शाकर व्यपहरण किया गया।
भाग–(अ) प्रस्तर–21 व 24

6– बिना प्रमाणक के रू0 6,000.00 कैशबुक में अमानत वापस दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–20

अनियमित भुगतान :–

7– जोशीमठ समिति के खाद ढुलान व्यय का रू0 9,241.00 तपोवन समिति से अनियमित भुगतान किया गया।

भाग–(ब) प्रस्तर–4,5 व 11

8– समिति अध्यक्ष को रू0 4,725.00 का पारितोषक भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–(अ) प्रस्तर–17

विविध अनियमिततायें :–

9– सदस्यों को बिना स्वीकृति अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण रू0 90,230.00 का वितरण अनियमित था।

भाग–(ब) प्रस्तर–22,23,26,30,36 व 49

घेस साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–देवाल जिला–चमोली
(वर्ष 90–91 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त राशि रू0 100.00 की प्रविष्टि आय पक्ष में न कर शेष रोकड़ का व्यपहरण किया गया ।

भाग(अ) प्रस्तर–1

2– कैश रसीदों से प्राप्त राशि रू0 60.00 कैश बुक में कम जमा कर व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–2 व 3

3– वेतन भुगतान अधिक दर्ज रू0 300.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–4

4– कार्यालय किराया रू0 200.00 एक ही माह का दो बार भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–6

5– बैंक क्रेडिट एडवाईस का लेखा कैश के आय पक्ष में अंकित न कर रू0 3,962.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–8 व 9

6– सोयाबीन बीज के स्टाक का लेखा कोषांकित न कर रू0 5,439.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–10,14,15 व 17

7– बैंक से आहरित धनराशि रू0 2,025.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–18

8– बचत खाते से बिना प्रमाण के रू0,1100.00 आहरण कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–12 व 13

9– रसीदों से प्राप्त धनराशि रू0 4,110.00 को कैशबुक में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–19

10– समिति सचिव ने बिना स्वीकृति जीवन निर्वाह निधि भत्ते का भुगतान रू0 25,000.00 स्वयं कैशबुक से आहरित कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–11

अनियमित भुगतानः–

11– वितरित ऋण के चेकों की धनराशि रू0 8,100.00 को सदस्य खातों में अंकित न किया जाना अनियमित था।

भाग–(अ) प्रस्तर–5 व 7

आर्थिक क्षति :–

12– बिक्री दर से कम दर पर खाद की बिक्री करने से रू0 3,933.00 की क्षति हुई ।

भाग–(अ) प्रस्तर–16

देवाल साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–देवाल जिला–चमोली
(वर्ष 1980–81 से 2003–04 तक)

व्यपहरण :–

1– बिक्री धन रू0 4,693.00 को कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–1,2 व 3

2– बिक्री कक्ष की कैश बुक की शेष रोकड़ रू0 4,580.00 को जमा/चार्ज में न देकर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–2 (I, II)

3– बिक्री धन जमा किये बिना स्टाक कम कर रू0 842.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया ।

भाग–(अ) प्रस्तर–8 व 9

4– उपभोक्ता कक्ष की कैशबुक में पुष्टि रहित बैंक जमा रू0 4,000.00 दर्शित कर रोकड़ का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–10

5– चीनी व मिट्टी के तेल का बिक्री धन रू0 10,573.00 कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–11 से 19 तक

6– बिना खाद बिक्री जमा किये, खाद के स्टाक को कम कर रू0 6,056.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–20 से 24, 26 व 27

अनियमित भुगतान :–

7– समिति कोष से वेतन व पारितोषिक रू0 875.00 भुगतान किया जाना अनियमित था ।

भाग–(अ) प्रस्तर–4 व 5

8– स्थानान्तरण देयक में अनुमन्य दरों से अधिक रू0 1,340.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–(अ) प्रस्तर–25

विविध अनियमिततायें :–

9– ऋण वितरण एवं ऋण माफी की पुष्टि में सदस्य खाता व कैश बुक में रू0 6,975.00 के लेखे पारित नही पाये गये।

भाग–(ब) प्रस्तर–6 व 21

सेमा साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–घाट जिला–चमोली
(वर्ष 1992–93 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– बिक्री धन जमा किये बिना खाद का स्टाक कम कर रू0 1,287.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–1

2– बैंक से विड्राल की धनराशि में अपरलेखन कर रू0 825.00 से अधिक कैश आहरित कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–5 व 7

3– हिस्सा स्थानान्तरण प्रविष्टि केवल व्यय पक्ष में अंकित कर शेष रोकड़ रू0 1,200.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–10

4– कैश रसीदो से प्राप्त वसूली की धनराशि को बैंक जमा न कर सचिव द्वारा अपने नाम डाल कर रू0 15,277.00 क व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–14

5– उपभोक्ता/दीगर सामान का बिक्री धन कम जमा कर रू0 7,404.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–15 से 19 तक

6– फर्जी अमानत जमा तथा आहरित कर रू0 1,270.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–13 व 4

अनियमित भुगतान :–

7– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता मद में रू0 2,141.00 अनुमन्य दर से अधिक भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–(अ) प्रस्तर–6,8 व 11

विविध अनियमिततायें :–

8– सदस्य से बिना ऋण वसूली के अवशेष ऋण राशि रू0 1028.00 को शून्य दर्शित किया जाना अनियमित था ।

भाग–(ब) प्रस्तर–9

9– सदस्य को रू0 22,000.00 ऋण वितरण किया जाना अनियमित था।

भाग–(ब) प्रस्तर–12

नैनीसैण साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–कर्णप्रयाग, जिला चमोली
(वर्ष 87–88 से 2003–04 तक)

व्यपहरण :–

1– खाद बिक्री की धनराशि को जमा न कर रू0 2,211.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–1,2,4 से 8

2– अमानत रू0 5,800.00 को भुगतान दर्शाकर व्यपहरण किया गया ।

भाग–(अ) प्रस्तर–3

3– बिक्री की धनराशि रू0 1,185.00 को कैश बुक में जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–10

गन्ना अनुभाग

तराई सहकारी गन्ना विकास समिति लि0,पन्तनगर जिला–उधम सिंह नगर
(वर्ष 1997–98 व 98–99)

व्यपहरण :–

1– बिना बिक्री किए 27 बैग यूरिया स्टाक से कम कर तथा 1,203 बैग चार्ज में ट्रांसफर दर्शित कर कुल 1,230 बैग यूरिया मूल्य रू0 2,38,447.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–1

आर्थिक क्षति :–

2– समिति के पूर्व सचिव से रू0 2,000.00 अग्रिम की वसूली न कियए जाने से रू0 2,000.00 की हॉनि हुई। उक्त सचिव स्थानान्तरित होकर उत्तर प्रदेश चले गये है।

भाग–(अ) प्रस्तर–3

विविध अनियमितता :–

3– सन्तुलन पत्र में रू0 2,42,734.00 सदस्यों से अन्य पावना समाप्त कर ऋण पावनो में दर्शित किया जाना अनियमित था।

भाग–(ब) प्रस्तर–2

डोईवाला गन्ना सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–डोईवाला, जिला–देहरादून (वर्ष 1998–99)

व्यपहरण :–

1– यूरिया, फ्यूराडान,एम0बी0 के0 आदि का स्टाक कम दर्शाकर रू0 3,956.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग–(अ) प्रस्तर–1

अनियमित भुगतान :–

2– सहारनपुर स्थित कम्प्यूटर फर्म को स्वीकृत धनराशि से रू0 19,379.00 का अधिक भुगतान किया जाना अनियमित था ।

भाग–(अ) प्रस्तर–3

मत्स्य अनुभाग

मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0,रूड़की जिला हरिद्वार (वर्ष 99–2000 से 2002–03 तक)

अनियमित भुगतान :–

1– माह सितम्बर,99 से सितम्बर 2001 की अवधि हेतु रू0 1,27,500.00 अनुमन्य धनराशि से अधिक वेतन भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–(अ) प्रस्तर–21

2– प्रमाणको के बिना रू0 12,742.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था ।

भाग–(अ) प्रस्तर–11,15,19,21 व 38

आर्थिक क्षतिः–

3– मछली उत्पादन निर्धारित मानको से कम होने से रू0 60,56,080.00 की क्षति हुई है।

भाग–(ब) प्रस्तर–28 व 32

दुग्ध अनुभाग

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जनपद चम्पावत (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– प्रस्तुत व्यय प्रमाणकों से रू0 6907.00 अधिक भुगतान कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर –3

2– ट्रॉसपोर्ट बिलो से रू0 5952.00 का अधिक भुगतान कर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –4

3– बैंक खातों में रू0 213704.00 से अधिक जमा दर्शाकर धन का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–5

4– बैंक खातों में प्रमाण रहित जमा दर्शाकर रू0 6000.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर– 6

अनियमित भुगतान :–

5– भूत पूर्व अध्यक्ष को संस्था से रू0 12030.00 अग्रिम भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर –2

आर्थिक क्षतिः–

6– सघन मिनी डेरी में प्राप्त राजकीय अनुदान से अधिक व्यय 158473.00 करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर –1

विविध अनियमितता :–

7– अप्रयुक्त अनुदान रू0 29,69,558.00 को वापस न कर, अन्यन्त्र प्रयुक्त किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर –7

8– समितियों को प्राप्त राजकीय अनुदान रू0 3,60,379.00 का भुगतान सचिव वेतन मद् मे कर अनियमितता की गई।

भाग (अ) प्रस्तर –8

9–6 समितियों के निमित्त अनुदान रू0 1,56,920.00 उनके गठन से पूर्व से ही प्राप्त किया जाना अनियमित था ।

भाग (अ) प्रस्तर –9

अल्मोडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जनपद अल्मोडा (वर्ष 2000–2001)

अनियमित भुगतान :–

1– संघ कर्मचारियों को विभागीय स्वीकृति के बिना रू0 1,62,651.00 नकदीकरण का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर –5

2– संघ कर्मचारियों को विभागीय स्वीकृति के बिना रू0 2,64,775.00 बोनस का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर –6

विविध अनियमितता :–

3– शासन से प्राप्त अनुदान निर्दिष्ट मदों में उपयोग न कर और न ही शासन को वापस कर धनराशि रू0 2,18,035.00 अप्रयुक्त रखना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर –1

4– दुग्ध समितियों को देय अनुदान रू0 34,90,601.00 समितियों को न दिया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर –2

5– दुग्ध संघ को प्राप्त अनुदान रू0 1,24,045.00 दुग्ध संघ देहरादून के नाम दर्शाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर –3

6– विगत वर्षो की पावना धनराशि रू0 14977.00 की वसूली वर्ष की कय राशि में भी समायोजित न किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर –4

जालीखान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 जिला अल्मोडा
(वर्ष 2002–2003 व 2003–04)

अनियमित भुगतान :–

1– दो सदस्यों को सधन मिनी अनुदान रू0 3220.00 का अधिक भुगतान कर उसे पावना में दर्शाया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर –1

विविध अनियमितता :–

2– विगत अग्रिम पावना रू0 6,148.00 की वसूली न कर अनियमितता की गई है।

भाग (ब) प्रस्तर –2

पैली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 जिला अल्मोडा (वर्ष 1996–97 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– रसीद बुक मे प्राप्त धनराशि रू0 337.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर–1

2– दुग्ध उत्पादकों का रूपये 4295.00 दो बार भुगतान कर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर–5

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 ज्येष्ठवाड़ी जिला उत्तरकाशी
(वर्ष 2000–01 से 2002–03)

व्यपहरण :–

1– बेंक से आहरित राशि को कोषांकित न कर रू0 12000.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर–1

2– स्थानीय दुग्ध बिकी की धनराशि रू0 756.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर–2

पंचायत अनुभाग

ग्राम पंचायत – सुनाली विकास क्षेत्र कर्णप्रयाग जिला चमोली (वर्ष 1999–00 से 2002–03)

व्यपहरण :–

1– मस्टर रोल पर श्रमिक का नाम अंकित किये बिना रू0 1160.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर–7

2– कोषबही में अपरलेखन कर रू0 200.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –10

4– बैंक से जे0आर0 वाई खाता 2446 से आहरित राशि को रू0 500.00 से कम कोषांकित कर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –1

विविध अनियमितता :–

5– वर्ष 99–2000 से 2001–02 तक निर्बल वर्ग आवास के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान रू0 79,709.00 के प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही थे।

भाग (ब) प्रस्तर –2 व 3

6– स्वीकृत कोटेशन से रू0 600.00 का अधिक भुगतान किया जाना अनिमित था।

भाग (ब) प्रस्तर –4

7– वर्ष 2000–01 व 2001–02 में कृत निर्माण कार्यो से सम्बंधित प्रमाणक रू0 1,18,315.00 तथा तत्सम्बन्धी एम0 बी0 इस्टीमेट व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही थे ।

भाग (ब) प्रस्तर –5, 6 व 9

ग्राम पंचायत – काण्डाई विकास क्षेत्र देवाल जिला चमोली (वर्ष 2001–02 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– बैंक से आहरित धन कैश बुक में दर्ज न कर रू0 1000.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –1

2– श्रमिकों को बिना भुगतान किये धनराशि कैश बुक से कम कर रू0 15022.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –2 व 3

ग्राम पंचायत – सुईया विकास क्षेत्र देवाल जिला चमोली (वर्ष 2001–02 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– छात्रवृत्ति की धनराशि बिना वितरण किये रू0 1500.00 का भुगतान दर्शाकर व्यपहरण किया गया

भाग (अ) प्रस्तर –1

2– बैंक से आहरित धन को ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम प्रधान द्वारा अपने नाम से खारिज कर रू0 40,000.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –2

3– प्रमाणकों के बिना और एम0 बी0 में प्रविष्टि के बिना भुगतान दर्शित कर रू0 15,022.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर –3

4– बिना बिल के क्रय सामान को स्टाक में अंकित न करके रू0 22,880.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –4

ग्राम पंचायत – उस्तोली विकास क्षेत्र घाट जिला चमोली (वर्ष 2003–04)

व्यपहरण :–

1– चैक से आहरित धनराशि को कम कोषांकित कर तथा कोषबही के त्रुटिपूर्ण योग अंकित कर रू0 2,407.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –1 व 3

2– छात्रवृत्ति का फर्जी भुगतान दर्शित कर रू0 13920.00 का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर –2

अनियमित भुगतान :–

3– मस्टर रोल का अनुमन्य दरों से रू0 7900.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर –4 व 5

ग्राम पंचायत – खैनुरी विकास क्षेत्र दसोली जिला चमोली (वर्ष 2003–04)

विविध अनियमितता :–

1– बिना प्राप्ति रसीद के छात्रवृत्ति भुगतान रू0 2100.00 दर्शित किया जाना अनियमित था।

भाग (अ)प्रस्तर –1

2– सी0 सी0 मार्ग निर्माण पर अनुमन्य अनुपात से अधिक बजरी हेतु भुगतान रू0 4250.00 अनियमित था।

भाग (अ)प्रस्तर –2 व 3

ग्राम पंचायत – ल्वाह विकास क्षेत्र दसोली जिला चमोली (वर्ष 2001–02 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– श्रमिकों द्वारा बिना भुगतान प्राप्त रसीद के मस्ट्रोळ का भुगतान रू0 4002.00 कोषबही से कम कर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर – 1

अनियमित भुगतान :–

2– बिना प्राप्ति रसीदों के छात्रवृत्ति भुगतान रू0 10600.00 किया जाना अनियमित था।

भाग (अ)प्रस्तर –2 व 3

ग्राम पंचायत – मटई, विकास क्षेत्र घाट जिला चमोली (वर्ष 2001–02 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– बैंक से आहरित धनराशि रू0 44656.00को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया

भाग (अ) प्रस्तर –1 व 2

ग्राम पंचायत – सल्ला–रैतोली विकास क्षेत्र दशोली जिला चमोली (वर्ष 2001–02 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– मस्टर रोल पर श्रमिको को बिना भुगतान प्राप्ति के रू0 4002.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर –2 व 1

ग्राम पंचायत – नन्दपुर नरका टोपा विकास क्षेत्र बाजपुर जिला उधमसिंह नगर (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– रसीद संख्या 75652 से प्राप्त धनराशि में अपरलेखन कर रू0 100.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–1

2– स्टेशनरी कय का बिना बिल भुगतान रू0 750.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

ग्राम पंचायत –सन्यासियो वाला विकास क्षेत्र जसपुर जिला उधमसिंह नगर (वर्ष 2003–04)

व्यपहरण :–

1– खण्ड विकास अधिकारी से सादे कागज पर रसीद प्राप्त कर रू0 2100.00 की पौध कय की गयी। पुष्टि पौध लगााने के अभिलेखों से नही हुई।

भाग (अ) प्रस्तर –2

विविध अनियमित्ता :–

2– कार्यालय भवन किराये पर लेने की अनुमति ग्राम पंचायत से लिए बिना रू0 3,200.00 किराया भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर – 3

3– बिना पंचायत प्रस्ताव व स्वीकृति के श्री शकील अहमद को रू0 2000.00 किराया भुगतान किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर – 4

ग्राम पंचायत – कोठार विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– बैंक से आहरित धनराशि रू0 13000.00 को कैश बुक में न दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

ग्राम पंचायत – पोखार विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– बैंक से आहरित धनराशि रू0 20000.00 कैश बुक में न दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

ग्राम पंचायत – ज्यूँदाणा विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– बैंक से आहरित धनराशि रू0 12000.00 को कैश बुक में न दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

ग्राम पंचायत – मज्याडी विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– बैंक से आहरित धनराशि रू0 20370.00 को कैश बुक में जमा न कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

2– कोषबही के प्रारम्भिक अवशेष रू0 126.00 को शेष हस्तगत रोकड़ में सम्मिलित न कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –2

ग्राम पंचायत – मुयालगॉव विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2001–02 व 2002–03)

व्यपहरण :–

1– एक श्रमिक से एक माह में दो मस्टर रोल पर कार्य दर्शित कर रू0 1218.00 का व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

2– छात्रवृत्ति प्राप्ति रसीद के बिना छात्रवृत्ति का भुगतान रू0 13500.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –2

3– बिना प्राप्ती रसीदों के रू0 6054.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –3 व 4

ग्राम पंचायत – बगवान विकास क्षेत्र देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोषबही में नकद रोकड शेष न दर्शाकर रू0 10,302.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर –3

अनियमित भुगतान :–

2– मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर प्राप्ति के बिना रू0 8,120.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर –1

विविध अनियमितता :–

3– जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य का भुगतान रू0 12120.00 निर्धारित दिशा निर्देशों के अन्तर्गत न कर अनियमितता की गयी।

भाग (ब) प्रस्तर –2

ग्राम पंचायत – भण्डाली विकास क्षेत्र देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– आहरित धनराशि के सापेक्ष छात्रवृत्ति का कम भुगतान कर रू0 3337.00 व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर – 1

2– पंचायत कर वसूली रू0 180.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर – 2

3– मस्टर रोल पर श्रमिकों के फर्जी नाम , पते, एवं हस्ताक्षर द्वारा रू0 75,822.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर –3 व 4

4– बिना प्रमाणक के धनराशि कोषबही से कम कर रू0 7298.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर –6

ग्राम पंचायत – कोटी विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2001–02 व 2002–03)

व्यपहरण :–

1– बिना प्रमाणक के रू0 6376.00 कैश बुक से कम कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर – 2 व 3

अनियमित भुगतान :–

2– प्रधान के हस्ताक्षर के बिना मस्टर रोल रू0 1210.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर –1

3– प्राप्ति रसीद के बिना छात्रवृत्ति रू0 3000.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर –4

ग्राम पंचायत – देवगढी विकास क्षेत्र कीर्तिनगर जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– मस्टर रोल में मजदूरों की धनराशि भुगतान किये बिना ही रू0 3480.00 कैश बुक से कम कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–1

विविध अनियमितता :–

2– कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में रू0 185751.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर –2

ग्राम पंचायत – जखण्ड विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– पोस्ट आफिस पास बुक के संयुक्त खाते से रू0 1000.00 एक ही हस्ताक्षर से आहरित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1

ग्राम पंचायत – थाती विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– एक ही नाम के श्रमिकों को दो मस्टर रोल में रू0 25984.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर – 1

अनियमित भुगतान :–

2– प्रधान द्वारा बिना स्वीकृत प्रस्ताव स्टीमेट व एम0 बी0 के रू0 124633.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर –2 व 3

विविध अनियमितता :–

3– कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में रू0 185751.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर –2

ग्राम पंचायत – थाती–बूढाकेदार विकास क्षेत्र भिलंगना जिला टिहरी गढवाल (वर्ष 2001–02 व 2002–03)

व्यपहरण :–

1– श्रमिकों की प्राप्ति के बिना मस्टर रोल रू0 24998.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

2– बिना प्रमाणक रहित स्टेशनरी कय का भुगतान रू0 5800.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –2

ग्राम पंचायत – पोखरी विकास क्षेत्र गरूड जिला बागेश्वर (वर्ष 2001–02 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– बिना प्राप्ति रसीदों के छात्रवृत्ति भुगतान रू0 2160.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

ग्राम पंचायत – गलई विकास क्षेत्र गरूड़ जिला बागेश्वर (वर्ष 2000–01 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– प्रा0 पाठशाला व जू0 हा0 स्कूलों के छात्रों को बिना प्राप्ति रसीदो के छात्रवृत्ति का भुगतान रू0 19380.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

ग्राम पंचायत – कफल डूँगा विकास क्षेत्र गरूड़ जिला बागेश्वर (वर्ष 2001–02 से 2003–04)

व्यपहरण :–

1– विभिन्न तिथियों में प्रमाण रहित भुगतान रू0 2200.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर –1

———X———

परिशिष्ट "क" भाग–(1)–(आख्या प्रस्तर 3,1 में सन्दर्भित)

क्रम सं0	संस्था की श्रेणी	संस्थाओ की संख्या
1–	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0,हल्द्वानी नैनीताल	01
2–	उत्तरांचल राज्य सहकारी रेशम संघ लि0,प्रेमनगर,देहरादून	01
3–	उत्तराचंल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0	01
4–	जिला सहकारी बैंक लि0,	10
5–	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	08
6–	जिला सहकारी विकास संघ लि0	10
7–	जिला भेषज विकास संघ लि0	12
8–	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	06
9–	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	31
10–	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
11–	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
12–	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	763
13–	कृषि सहकारी समितियां	04
14–	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
15–	प्राईमरी सहकारी समितियां	01
16–	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	471
17–	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
18–	सहकारी दुग्ध समितियां	1010
19–	सहकारी चीनी मिले	04
20–	सहकारी गन्ना समितियां	16
21–	सहकारी आवास संघ/समितियां	58
22–	बुनकर/खादी/रेशम/उद्योग सहकारी समितियां	237
23–	सहकारी मत्स्य समितियां	25
24–	जिला पंचायतें	13
25–	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	13
26–	क्षेत्र पंचायत	95
27–	पंचायत उद्योग	53
28–	ग्राम पंचायतें	7177
योग:–		10,099

परिशिष्ट "ख"

(आख्या प्रस्तर–3–2– में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एंव उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियम :–

1–जिला सहकारी बैंक :–
(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949
(2) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004
(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली
(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934
(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972
(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965
(8) निगोशियेवल इन्स्टूमेन्ट एक्ट 1881

2– सहकारी संस्थायें:–
(1) उत्तराचंल सहकारिता अधिनियम 2003 / नियमावली 2004
(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एंव सेवा नियमावली
(4) आयकर अधिनियम 1987/नियमावली
(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3– दुग्ध/उद्योग संस्थायें :–
(1) उत्तराचंल सहकारिता अधिनियम 2003 / नियमावली 2004
(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एंव सेवा नियमावली
(4) उ0 प्र0 दुकान एंव वाणिज्य अधिनियम
(5) बिकीकर अधिनियम 1948/नियमावली
(6) सैन्ट्ल लेवर एक्ट 1970
(7) कारखाना अधिनियम 1948
(8) वर्क्स कम्पन्सेशन एक्ट
(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1936

4– गन्ना समितियां:–
(1) उ0प्र0 गन्ना पूर्ति एंव खरीद अधिनियम
(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004

5– मत्स्य समितियां :–
(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004
(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6– पंचायत संस्थायें :–
(1) उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947/नियमावली
(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली
(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां

1– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो ,तीन,पांच व छः – सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू

2– बजट मैनूअल – सामान्य रूप से संस्थाओ पर लागू

3– समय–समय पर निर्गत शासकीय आदेशो – सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू

4– मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस – सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू

5– उपविधियां/सेवा नियमावलियां – सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओ पर लागू

परिशिष्ट "ग"
(आख्या प्रस्तर–5–3 में सन्दर्भित)

आडिट 5471 / दस–300(8) / 74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव,उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एंव पंचायते,उ0प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक सितम्बर,17,1977

विषय :: सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारो का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0–1953 / दस–3000(8) / 53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी कम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0 300 / दस–3000 (8) / 53 दिनांक 16–4–70 का आशिंक सशोंधन करते हुए राज्यपाल महोदय,सहकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:–

(1)– शीर्षस्थ समितियां जैसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एंव मिल्क बोर्ड कानपुर,मिल्क यूनियन लखनऊ,चीनी मिल,सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें,जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड़ रूपये से अधिक है,लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)– प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा :–

क0स0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारण का आधार	दर
क–	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष के 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ख–	उत्पादन संग्रह,क्रय विक्रय एंव उद्योग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ग–	समितियां जिनका प्रभाव उद्धेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3) विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

क0सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओ की गणना प्रकिया
1--	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक	10,000.00	
क–	50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर		
	50 लाख रू0 से अधिक एक करोड़ रू0 तक		
ख–	की कार्यशील पूंजी पर		
	एक करोड़ रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	20,000.00	
ग–			
		50,000.00	
2–	नगर बैंक/प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000.00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 200.00
3–	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2 (क) में उल्लिखित अन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:–		
क–	एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	500.00	
ख–	एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	1,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500.00
ग–	दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	2,000.00	
घ–	चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	3,000.00	
4–	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000.00	
5–	जिला सहकारी संघ	10,000.00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000.00
6–	सहकारी दुग्ध संघ	5,000.00	
7–	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए 150.00
8–	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	2,000.00	
9–	नया बाजार	3,000.00	
10–	उद्योग समितियां	2,500.00	प्रत्येक रू0 25,000.00 की बिक्री के लिए रू0 50.00
11–	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नही निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नही है।	2,000.00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000.00 रू0
12–	गन्ना संघ एंव समितियां	20,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500.00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी अथवा कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के

			अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100.00 रू0) से अथवा रू0 500.00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

2– राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय
ह0–
(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)
उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस–300 (8)/74

परिशिष्ट – "घ"

(प्रस्तर 3–1 में सन्दर्भित)

सहकारी एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयो की सूची :–

क्र0सं0	जिले का नाम जहॉ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1–	उत्तरकाशी
2–	चमोली
3–	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4–	देहरादून
5–	पौड़ी–गढ़वाल
6–	हरिद्वार
7–	रूद्रप्रयाग
8–	अल्मोड़ा
9–	पिथौरागढ़
10–	नैनीताल
11–	उधमसिंह नगर
12–	बागेश्वर
13–	चम्पावत

परिशिष्ट–ड. (पृष्ठ 8 पर सन्दर्भित)

जिला सहकारी बैंक लि0:–

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	1–जिला सहकारी बैंक लि0,हरिद्वार (रूड़की)	2003–04	–	19,02,442.00	–	1,675.00	40,86,832.00	59,90,949.00
2–	जिला सहकारी बैंक लि0,देहरादून	2002–03	–	18,99,387.00	–	–	50,305.00	19,49,692.00
	योग:–		–	38,01,829.00	–	1,675.00	41,37,137.00	79,40,641.00

अरबन कोआपरेटिव बैंक

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	1–उत्तराखण्ड कोआपरेटिव बैंक लि0,ऋषिकेश,देहरादून	99–2000 से 2000–01	23,700.00	–	50,100.00	–	15,56,744.00	16,30,544.00
2–	गढ़वाल कोआपरेटिव बैंक लि0, ऋषिकेश,देहरादून।	2002–03	–	57,000.00	–	–	–	57,000.00
	योग		23,700.00	57,000.00	50,100.00		15,56,744.00	16,87,544.00

जिला भेषज एवं विकास संघ :–

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	बागेश्वर जिला भेषज एवं क्रय विक्रय संघ लि0 बागेश्वर।	2001–02 2002–03	–	–	–	–	27,990.00	27,990.00
2–	जिला श्रमिक भेषज सहकारी संघ लि0,हरिद्वार।	2002–03	3,000.00	–	–	–	–	3,000.00
3–	जिला सहकारी विकास संघ लि0,हरिद्वार	2002–03	–	–	–	24,017.00	2,700.00	26,717.00
4–	सीमान्त सहकारी सघं लि0,दसौली,चमोली।	97–98	1,06,850.00	6,500.00	–	–		1,13,350.00
	योग–		1,09,850.00	6,500.00	–	24,017.00	30,690.00	1,71,057.00

केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डार :–

कम संख्या	नम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0, हरिद्वार।	2002–03	46,349.00	–	2,333.00	–	24,997.00	73,679.00
	योग–		46,349.00	–	2,333.00	–	24,997.00	73,679.00

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार /मध्याकार/साधन सहकारी समितियां :–

कम संख्या	नम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	दाबकी कला सिान सेवा सहकारी समिति लि0,लकसर,हरिद्वार	2001–02	730.00	13,570.00	18,336.00	–	–	32,636.00
2–	किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बादशाहपुर,हरिद्वार।	97–98	74,699.00	19,032.00	7,194.00	–	–	1,00,925.00
3–	साधन सहकारी समिति लि0,ढालवाला,टिहरीगढ़वाल	2002–03	13,173.00	–	–	–	15,695.00	28,868.00
4–	साधन सहकारी समिति लि0,आमपाटा (टिहरी–गढ़वाल)	2002–03	20,405.00	–	–	–	14,000.00	34,405.00
5–	साधन सहकारी समिति लि0,मरोड़ागाड़, टिहरी–गढ़वाल	2002–03	29,243.00	–	–	–	–	29,243.00
6–	साधन सहकारी समिति लि0,पोखरी,टहरी–गढ़वाल।	2002–03	14,,434.00	–	–	–	–	14,434.00
7–	साधन सहकारी समिति लि0, लवा,टिहरी–गढ़वाल ।	2002–03	35,787.00	–	–	–	–	35,787.00
8–	साधन सहकारी समिति मुखेम,प्रतापनगर,टिहरी–गढ़वाल।	2002–2003	4,275.00	–	–	–	–	4,275.00
9–	साधन सहकारी समिति लि0,सिलारी,टिहरी–गढ़वाल	2002–2003	5,500.00	–	–	–	22,170.00	27,670.00
10–	साधन सहकारी समिति लि0,तुगांली चम्बा,टिहरी–गढ़वाल	2001–02 व 2002–2003	6,963.00	–	–	–	49,343.00	56,306.00
11–	सौरासालू साधन सहकारी समिति लि0,भटवाड़ी,उत्तरकाशी		61,703.00	–	–	–	39,43,113.00	40,04,816.00
12–	बाराकोट साधन सहकारी समिति लि0,पिथौरागढ़।	2002–03	71,965.00	–	–	–	–	71,965.00

13–	जिनगरल बिसौना खान साधन सहकारी समिति लि0,पिथौरागढ़।	2001–02	10,689.00	–	–	–	–	10,689.00
14–	सटगल साधन सहकारी समिति लि0, पिथौरागढ़।	2002–03	34,627.00	–	–	–	–	34,627.00
15–	बलगढ़ी साधन सहकारी समिति लि0,पिथौरागढ़।	2003–04	93,986.00	–	–	–	1,15,311.00	2,09,297.00
16–	तपोवन साधन सहकारी समिति लि0,चमोली।	87–88 से 2002–03 तक	2,36,704.00	13,966.00	–	–	90,230.00	3,40,900.00
17–	घेस साधन सहकारी समिति लि0,चमोली।	90–91 से 2003–04	42,296.00	8,100.00	3,933.00	–	–	54,329.00
18–	देवाल साधन सहकारी समिति लि0, चमोली।	80–81 से 2003–04	30,744.00	2,215.00	–	–	6,975.00	39,934.00
19–	सेमा साधन सहकारी समिति लि0,घाट,चमोली।	92–93 से 2003–04	27,263.00	2,141.00	–	–	23,028.00	52,432.00
20–	नैनीसैण साधन सहकारी समिति लि0 चमोली।	87–88 से 2003–04	9,196.00	–	–	–	–	9,196.00
	योग–		8,24,382.00	59,024.00	29,463.00	–	42,79,865.00	51,92,734.00

सहकारी गन्ना समितियां

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	तराई सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, पन्तनगर,उधमसिंह नगर।	97–98 व 98–99	2,38,447.00	–	2,000.00	–	2,42,734.00	4,83,181.00
2–	डोईवाला गन्ना सहकारी समिति लि0,देहरादून।	98–99	3,956.00	19,379.00	–	–	–	23,335.00
	योग–		2,42,403.00	19,379.00	2,000.00		2,42,734.00	5,06,516.00

मत्स्य समितियां

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0,रूड़की,हरिद्वार।	99–2000 से 2002–03	–	1,40,242.00	60,56,080.00	–	–	61,96,322.00
	योग–		–	1,40,242.00	60,56,080.00	–	–	61,96,322.00

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/ समितियां

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,चम्पावत् ।	2002–03	2,32,563.00	12,030.00	1,58,473.00	–	34,86,857.00	38,89,923.00
2–	अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,अल्मोड़ा।	2000–01	–	4,27,426.00	–	–	38,47,658.00	42,75,084.00
3–	जालीखान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0,अल्मोड़ा।	2002–03 व 2003–04	–	3,220.00	–	–	6,148.00	9,368.00
4–	पैली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0,अल्मोड़ा।	96–97 से 2003–04	4,632.00	–	–	–	–	4,632.00
5–	महिला दुग्ध उत्पादक सह0 समितिलि0,ज्येष्ठबाड़ी,उत्तरकाशी		12,756.00	–	–	–	–	12,756.00
	योग–		2,49,951.00	4,42,676.00	1,58,473.00	–	73,40,663.00	81,91,763.00

ग्राम पंचायतें:–

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	सेनाली,चमोली	99–2000 से 2002–03	1,807.00	–	–	–	1,98,624.00	2,00,431.00
2–	काण्डई,चमोली	2001–02 से 2003–04	16,022.00	–	–	–	–	16,022.00
3–	सुईया, चमोली	2001–02 से 2003–04	79,402.00	–	–	–	–	79,402.00
4–	उस्तौली, चमोली	2003–04	16,327.00	7,900.00	–	–	–	24,227.00
5–	खैनूरी,चमोली	2003–04	–	–	–	–	6,350.00	6,350.00
6–	ल्वाह,चमोली	2001–02 से 2003–04	4,002.00	10,600.00	–	–	–	14,602.00
7–	मटई, चमोली	2001–02 से 2003–04	44,656.00	–	–	–	–	44,656.00
8–	सल्ला–रतौली,चमोली	2001–02 से 2003–04	4,002.00	–	–	–	–	4,002.00
9–	नन्दपुर नरका टोपा, उधमसिंहनगर	2002–03	850.00	–	–	–	–	850.00
10–	सन्यासियोंवाला, उधमसिंहनगर	2003–04	2,100.00	–	–	–	5,200.00	7,300.00
11–	कोठार,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	13,000.00	–	–	–	–	13,000.00
12–	पोखार,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	20,000.00	–	–	–	–	20,000.00
13	ज्यूँदाणा,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	12,000.00	–	–	–	–	12,000.00
14–	[illegible]पाड़ी,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	20,496.00	–	–	–	–	20,496.00
15–	मू[illegible]गांव,टिहरी–गढ़वाल	2001–02 व 2002–03	20,772.00	–	–	–	–	20,772.00

16–	बगवान,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	10,302.00	8,120.00	–	–	12,120.00	30,542.00
17–	भण्डाली,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	86,637.00	–	–	–	–	86,637.00
18–	कोटी,टिहरी–गढ़वाल	2001–02 व 2002–03	6,376.00	4,210.00	–	–	–	10,586.00
19–	देवगढ़ी,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	3,480.00	–	–	–	1,85,751.00	1,89,231.00
20–	जखण्ड,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	1,000.00	–	–	–	–	1,000.00
21–	थाती,टिहरी–गढ़वाल	2002–03	25,984.00	1,24,633.00	–	–	1,85,751.00	3,36,368.00
22–	थाती–बूढ़ाकेदार,टिहरी –गढ़वाल	2001–02 व 2002–03	30,798.00	–	–	–	–	30,798.00
23–	पोखरी,बागेश्वर	2001–02 से 2003–04	2,160.00	–	–	–	–	2,160.00
24–	गलई, बागेश्वर	2000–01 से 2003–04	19,380.00	–	–	–	–	19,380.00
25–	कफलडूंगा, बागेश्वर	2001–02 से 2003–04	2,200.00	–	–	–	–	2,200.00
	योग–		4,43,753.00	1,55,463.00	–	–	5,93,796.00	11,93,012.00

:: सम्परीक्षा शुल्क का विवरण ::

क्र0स0	नाम जनपद	प्रारम्भिक शेष	मांग	योग	वसूली	इतिशेष
1–	पौड़ी गढ़वाल	300120.00	287584.00	687704.00	80000.00	607704.00
2–	रूद्रप्रयाग	21800.00	251588.00	273388.00	102788.00	170600.00
3–	चमोली	108200.00	773491.00	881691.00	776791.00	104900.00
4–	देहरादून	698604.00	793106.00	1491710.00	763621.00	728089.00
5–	हरिद्वार	327757.00	413186.00	740943.00	320070.00	420873.00
6–	नैनीताल	141995.00	686132.00	828127.00	686132.00	141995.00
7–	उत्तरकाशी	133860.00	214180.00	348040.00	337040.00	11000.00
8–	अल्मोड़ा	60956.00	467374.00	528330.00	456423.00	71907.00
9–	उधमसिंहनगर	92960.00	1430344.00	1523304.00	1431544.00	91760.00
10–	टिहरी गढ़वाल	354700.00	540604.00	795304.00	717604.00	377700.00
11–	बागेश्वर	——	186257.00	186257.00	180857.00	5400.00
12–	पिथौरागढ़	15300.00	436408.00	451708.00	436408.00	15300.00
13–	चम्पावत	1800.00	236146.00	237946.00	236146.00	1800.00
	योगः–	**22,58,052.00**	**6716400.00**	**8974452.00**	**6225424.00**	**2749028.00**